<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 06/04/2024- डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 21.03.2025

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

मामला सं. एडी (ओआई) - 04/2024

विषय : <u>चीन जन. गण., रुस और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एसिटोनाइट्राइल" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच</u> ।

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. जबकि अल्काइल एमाइंस केमिकल्स (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" के रुप में भी कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार चीन जन. गण., रूस और ताइवान से एसिटोनाइट्राइल (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध वस्तु" के रुप में

भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद “प्राधिकारी” के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 26 मार्च, 2024 की अधिसूचना फा. संख्या 6/04/2024- डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन. गण., रूस और ताइवान (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू की गई, ताकि संबद्ध वस्तुओं के किसी भी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है :

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए दिनांक 26 मार्च 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

iii. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 26 मार्च 2024 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति, जहां कहीं भी अनुरोध किया गया, अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई।

v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पतों के साथ भेजी गई।

vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:

क्र. सं.	**देश**	**विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के नाम**
1	चीन	बीटीपी फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
2	चीन	फार्मासिनो फार्मास्युटिकल जियांग्सू कंपनी लिमिटेड
3	चीन	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन
4	चीन	हांग्जो इंश्योर केमिकल कंपनी लिमिटेड
5	चीन	आइडेंटिटी साइंस कंपनी लिमिटेड
6	चीन	इंपीरियल केमिकल कॉर्पोरेशन
7	चीन	जियांग्सू जीटिग हुआताई कंपनी लिमिटेड
8	चीन	लेवाकेम कंपनी लिमिटेड
9	चीन	माइक्रोकेम स्पेशलिटीज ट्रेड लिमिटेड
10	चीन	मित्सुबिशी गैस केमिकल ट्रेडिंग इंक.
11	चीन	मित्सुया बोएकी लिमिटेड
12	चीन	नागासे कंपनी लिमिटेड
13	चीन	नानजिंग बेइनुओ फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
14	चीन	नानटोंग लियांग केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

15	चीन	क़िंगदाओ ब्राइटफ़्यूचर हेल्थकेयर कंपनी लिमिटेड
16	चीन	क़िंगदाओ शिडा केमिकल कंपनी लिमिटेड
17	चीन	रिच अप (एचके) ट्रेडिंग लिमिटेड
18	चीन	शांडोंग कुंडा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी
19	चीन	शंघाई कोवन केमिकल कंपनी लिमिटेड
20	चीन	शंघाई फ्रीमेन केमिकल्स एचके कंपनी लिमिटेड
21	चीन	शंघाई यानकुई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टएक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
22	चीन	सिनोकेम फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड
23	चीन	वेफ़ांग झोंगहुई केमिकल कंपनी
24	चीन	जियान युआनफ़र इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी
25	चीन	झेजियांग कैमिकल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन
26	चीन	झेजियांग हेंगडियन अपेलोआ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
27	चीन	झेजियांग हुआकांग फार्मास्युटिकल कंपनी
28	चीन	झेजियांग मेडिसिन्स हेल्थ प्रोडक्ट्स इम्पो एक्सपो कंपनी लिमिटेड
29	रुस	अकडेनिज केमसन एडिटिव्स एजी
30	रुस	एटलस केम एजी
31	रुस	एवेस्ट्रा केमिकल डीएमसीसी
32	रुस	एवेस्ट्रा केमिकल (सुइस) एसए
33	रुस	इंटरचिम लिमिटेड
34	रुस	कसन एसआईए
35	रुस	पेट्रोकिम ट्रेडिंग मिडिल ईस्ट एंड एशिया डीएमसीसी
36	रुस	वेल इंटरनेशनल ट्रेडिंग डीएमसीसी
37	रुस	यांकुई कीमिया ग्रुप ओयू
38	ताइवान	एस्कस इंटरनेशनल (एस) प्राइ. लिमिटेड
39	ताइवान	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन
40	ताइवान	इंपीरियल केमिकल कॉर्पोरेशन

vii. जांच आरंभ अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया :

क्र. सं.	**देश**	**विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के नाम**
1	चीन	नान्चॉन्ग लियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड
2	चीन	वेफ़ांग झोंगहुई केमिकल कंपनी लिमिटेड
3	चीन	शांडोंग कुंडा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
4	रुस	सरतोवोर्गिंजेज़ एलएलसी
5	ताइवान	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन

viii. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

ix. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को आयातक/ प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी तथा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी की मांग की।

क्र. सं.	**विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात प्रयोक्ताओं और आयातकों के नाम**
1	एडवेंट केमबियो प्राइवेट लिमिटेड
2	अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
3	अवंतोर परफॉरमेंस मैटेरियल्स इंडिया लिमिटेड
4	बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंडिया लिमिटेड
5	केमिकल कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड
6	डेक्कन फाइन केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
7	डीवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड
8	डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड
9	फिनार लिमिटेड
10	ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड

11	हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड
12	के. उत्तमलाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
13	कैरव केमोफार्बे इंडस्ट्रीज लिमिटेड
14	लॉरस लैब्स लिमिटेड
15	मर्क लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
16	माइलान लैबोरेटरीज लिमिटेड
17	एनएसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
18	न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड
19	पारिकेम रिसोर्सेज एलएलपी
20	पीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
21	आर. नंदलाल एंड संस
22	आरआर इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड
23	साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड
24	संजय केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
25	शाह सी जे वर्ल्ड एलएलपी
26	शक्ति केमिकल्स
27	एसआरएफ लिमिटेड
28	उजिन फार्माकेम
29	उर्मि केमिकल्स

x. अधिसूचना जारी होने के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत कराया:

क्र. सं.	**विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात प्रयोक्ताओं और आयातकों के नाम**
1	संदीप ऑर्गेनिक्स
2	सत्यन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	कैरव केमोफार्बे इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xi. जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति और आवेदन का अगोपनीय पाठ ज्ञात एसोसिएशनों को भेजा गया था।

xii. निर्यातक, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्षकार जिन्होंने इस जांच के लिए संगत सूचना का उत्तर नहीं दिया है अथवा उसकी आपूर्ति नहीं की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार के रुप में माना गया है।

xiii. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और आवेदक को एक आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। केवल आवेदक और कैरव केमोफार्बे इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की है। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली दायर नहीं की है।

xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 माह) की है। क्षति अवधि में जांच की अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 शामिल होंगे।

xv. क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में लेन देन वार विवरण उपलब्ध कराने के लिए डीजीसीआईएंडएस से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और लेन देनों की उचित रुप से जांच किए जाने के बाद आवश्यक विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xvi. सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी और साथ ही सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोध के अगोपनीय पाठ को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

xvii. इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, साक्ष्यों के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए जहां तक वे संगत पाए गए, उन पर इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।

xviii. प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक और भी सूचना की मांग की है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था। प्राधिकारी

ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xix. प्राधिकारी ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक और भी सूचना की मांग की है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया।

xx. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक आंकड़ों/ सूचना के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा हासिल किए जाने के लिए अनुमानित किए गए अधिकतम क्षमता उपयोग के आधार पर अनुकूलन किया जाता है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री की अनुकूलतम लागत के आधार पर एनआईपी तैयार की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xxi. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को हुई एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए और उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोधों के रुप में दाखिल करने और उसके बाद उसके प्रत्युत्तर अनुरोध दाखिल करने का अनुरोध किया गया।

xxii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय मान लिया गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका पकटन नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

xxiii. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने विचार/ टिप्पणियां दर्ज किए हैं।

xxiv. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों तथा उपलब्ध कराई गई सूचना पर, इस सीमा तक विचार किया है कि वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं तथा वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए हैं।

xxv. प्राधिकरण ने 12 फरवरी 2025 को सभी इच्छुक पक्षों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण प्रसारित किया। प्राधिकरण ने प्रासंगिक समझी गई सीमा तक इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी प्रस्तुतिकरण जो केवल पिछले प्रस्तुतिकरण का पुनरुत्पादन था, और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

xxvi. इस अंतिम जांच परिणाम में '***', हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना को दर्शाता है तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।

xxvii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 83.21 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच शुरुआत की अवस्था मे, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था :

"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एसिटोनाइट्राइल है। एसिटोनाइट्राइल को MeCN (मिथाइल साइनाइड), साइनो मीथेन, इथेन नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल और मीथेन कार्बोनिट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में किसी भी नाम से जाना जाने वाला एसिटोनाइट्राइल शामिल है। विचाराधीन उत्पाद को एक स्पष्ट और रंगहीन तरल के रूप में उत्पादित और बेचा जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद का कोई समर्पित टैरिफ कोड नहीं है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ वर्गीकरण के उप शीर्ष 292690 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत आयात किया जाता है।

5. उत्पाद को विभिन्न शुद्धताओं के साथ आयात किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद की शुद्धता आयातित घोल में एसिटोनाइट्राइल की मात्रा के अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले, कम शुद्धता वाले एसिटोनाइट्राइल का उत्पादन किया जाता है, और फिर इसे उच्च शुद्धता वाला एसिटोनाइट्राइल बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के कम शुद्धता वाले एसिटोनाइट्राइल को आयातकों द्वारा भारत में आयात किया जाता है, जो फिर उच्च शुद्धता वाले एसिटोनाइट्राइल (99.9%) में परिवर्तित करने के लिए एक छोटी आसवन प्रक्रिया करते हैं। जांच के उद्देश्य से, विभिन्न शुद्धताओं में आयातित एसिटोनाइट्राइल को 99.9% शुद्धता वाले एसिटोनाइट्राइल में परिवर्तित किया गया है।"

ग.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. अन्य पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

   i. 98% अथवा उससे कम शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल के समान वस्तु नहीं है और इसे बाहर रखा जाना चाहिए।

   ii. कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल को उच्च शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल में परिवर्तित करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली अनुचित है।

   iii. आवेदक सिंथेटिक मार्ग के ज़रिए केवल 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का उत्पादन और बिक्री करता है। 98% अथवा उससे कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का निर्माण घरेलू उद्योग की तरह अलग लाइन पर नहीं किया जाता है। 98% अथवा उससे कम शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल एक्रिलोनाइट्राइल के निर्माण में एक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।

iv. आवेदक के पास 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल को निकालने की सुविधा नहीं है और उन्हें अंतिम आउटपुट के रूप में सीधे 99.9% शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल मिलता है।

v. 98% अथवा उससे कम शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल व्यावसायिक रूप से 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। 98% अथवा उससे कम शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल एक कच्ची सामग्री है जिसका उपयोग 99.9% अथवा उससे अधिक शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल के निर्माण में किया जाता है और इसका अपने आप में कोई उपयोग नहीं है।

vi. सिंथेटिक मार्ग के ज़रिए प्राप्त 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल के निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और उत्प्रेरक, और एक्रिलोनिट्राइल के निर्माण में उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त 98% अथवा उससे कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल अलग-अलग हैं

vii. 98% अथवा उससे कम शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल आसानी से 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल में परिवर्तित नहीं हो सकता है। उत्पादकों ने 98% अथवा उससे कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल को 99% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल में डिस्टिलिंग करने की प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली का पेटेंट कराया है।

viii. 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल को 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल में परिवर्तित करने पर 19% की मात्रा हानि और 20% की रूपांतरण लागत आती है

ix. केसीआईएल को 99.9% अथवा उससे अधिक शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल के निर्माण के लिए 98% शुद्धता के एसीटोनाइट्राइल के आयातों के लिए वास्तविक प्रयोक्ता आधारित छूट प्रदान की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से डाइमिथाइलएसिटामाइड [एन, एन-डाइमिथाइलएसिटामाइड] (डीएमएसी) की पाटनरोधी जांच और चीन जन. गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में प्रवंचना रोधी जांच में प्रयोक्ता - आधारित छूट प्रदान की है।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. आवेदक के पास 98% अथवा उससे कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का उत्पादन करने की क्षमता है।

ii. आवेदक पहले चरण में अर्थात 42-44% से 99.9% के बीच किसी भी शुद्धता में उत्पाद की आपूर्ति कर सकता है।

iii. आवेदक ने 99.9% शुद्धता की सामग्री की आपूर्ति करने के लिए संयंत्र की स्थापना की है क्योंकि प्रयोग किया जाने वाला अंतिम उत्पाद 99.9% शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल है।

iv. एसिटोनाइट्राइल की 98% शुद्धता एसिटोनाइट्राइल की बिना फ़िल्टर/बिना शुद्धता की अवस्था के अलावा और कुछ नहीं है।

v. 98% से 99.9% शुद्धता अथवा शुद्धता के अधिक के प्रतिशत में रूपांतरण में न्यूनतम मूल्य संवर्धन शामिल है और अशुद्धियों को दूर करने के लिए कई डिस्टिलेशन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

vi. उत्पादन प्रक्रिया के कारण पहले उत्पाद का उत्पादन 42-44% शुद्धता में होता है। कंपनी प्रतिक्रिया में उत्पन्न पानी की अशुद्धियों को दूर करने और शुद्धता में वृद्धि करने के लिए कई डिस्टिलेशन प्रक्रियाओं का पालन करती है। अंतिम चरण में डिस्टिलेशन 99.9% दिखाता है। 98% शुद्धता के उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उत्पाद को अंतिम चरण से निकाला जा सकता है।

vii. 98% शुद्धता के उत्पाद के लिए कोई बाजार नहीं है। भारत में आयातक रूस से आयात किए जा रहे उत्पाद के अशुद्ध रूप को डिस्टिलेशन करने के लिए अपनी सुविधा का उपयोग कर रहा है और उसे बेचता है।

viii. आवेदक ने डिस्टिलेशन लागत [***] % से कम आने के बारे में बताया है। ये 98% से 99.9% तक शामिल डिस्टिलेशन लागत के आधार पर हैं। डिस्टिलेशन को छोड़कर, कोई अन्य लागत नहीं है। पहले चरण के कच्चे उत्पाद से लेकर अंतिम चरण के 99.9% उत्पाद तक की संपूर्ण शुद्धिकरण लागत लगभग 10% आती है।

ix. उत्पाद को 98% शुद्धता का उत्पाद प्राप्त करने के लिए अंतिम से पहले के चरण से निकाला जा सकता है। अशुद्ध और शुद्ध चरण के उत्पादों को अलग-अलग उत्पाद के रुप में नहीं कहा जा सकता।

x. आवेदक सहित भारतीय उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद रूस से आयातित एसिटोनाइट्राइल के समान वस्तु है क्योंकि 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का एकमात्र उद्देश्य 99.9% अथवा उससे अधिक प्रतिशत की शुद्धता में परिवर्तित करना है।

xi. आयातक 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का आयात करता है और इसे 99.9% एसिटोनाइट्राइल बनाने के लिए परिवर्तित करता है।

xii. ग्राहक भारतीय उत्पादकों और अन्य देशों के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद का परस्पर उपयोग कर रहे हैं।

xiii. आयातक ने इस बात पर तर्क नहीं किया है कि उसका उत्पाद घरेलू उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

xiv. चूंकि भारत में कोई भी उत्पादक 98% शुद्ध सामग्री की आपूर्ति नहीं करता है, इसलिए 99.99% वाले एसिटोनाइट्राइल में आयातित उत्पाद के सबसे नजदीकी गुण होते हैं।

xv. 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल के आयातों पर अंतिम प्रयोक्ता आधारित छूट प्राप्त करने के लिए डाइमेथिलैसिटामाइड [एन, एन-डाइमेथिलैसिटामाइड] के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई निर्भरता के संबंध में, बहिष्कार का अनुरोध ऐसे उत्पाद के लिए था जो घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं था और साथ ही विचाराधीन उत्पाद के लिए उद्योग से अलग उद्योग में भी इसका उपयोग किया गया था। तथापि, वर्तमान मामले में, कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल को केवल उच्च शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल में परिवर्तित किया जाना है और उसी फार्मा उद्योग में उपयोग किया जाना है।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एसिटोनाइट्राइल है। एसिटोनाइट्राइल को MeCN (मिथाइल साइनाइड), साइनो मीथेन, इथेन नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल और मीथेन

कार्बोनिट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में किसी भी नाम से जाना जाने वाला एसिटोनाइट्राइल शामिल है। विचाराधीन उत्पाद एक स्पष्ट और रंगहीन तरल के रूप में उत्पादित और बेचा जाता है।

8. सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया था। विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन के संबंध में टिप्पणियाँ दाखिल की गईं थी और हितबद्ध पक्षकारों को अपनी अनुरोधों के संबंध में समझाने के लिए दिनांक 29 अप्रैल 2024 को एक बैठक आयोजित की गई। हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन पद्धति के संबंध में अपने अनुरोधों को विस्तार से बताया। हितबद्ध पक्षकारों को संगत सहायक साक्ष्य प्रदान करने का और अवसर प्रदान किया गया था। विचार-विमर्श के समय अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से लिखित रूप में अपने अनुरोधों को दाखिल करने के लिए कहा गया था।

9. विचाराधीन उत्पाद के दायरे को उसी तरह स्पष्ट किया गया था जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में माना गया था। निष्पक्ष तुलना के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति अपनाई गई थी।

क्र. सं.	पीसीएन मापदंड	विवरण	पीसीएन कोड
1	एसिटोनाइट्राइल की शुद्धता	99.9% शुद्धता	ए
		98% शुद्धता	बी
		कोई अन्य शुद्धता	सी

10. हितबद्ध पक्षकारों को सूचना प्रस्तुत करने के लिए 31 मई 2024 तक का समय दिया गया था।

11. संबद्ध वस्तुओं के आयातक कैरव केमोफार्बे इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रूस से संबद्ध वस्तुओं को 98% शुद्धता के साथ आयात किया है और आयातित वस्तुओं को 99.9% अथवा उससे अधिक की उच्च शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल में परिवर्तित किया

है। कैरव केमोफार्बे इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस आधार पर उत्पाद को बाहर करने की मांग की है कि यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं है। उत्पाद को विभिन्न शुद्धताओं के साथ आयात किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद की शुद्धता कुछ और नहीं बल्कि सोल्यूशन में एसिटोनाइट्राइल की मात्रा है। सबसे पहले, कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का उत्पादन किया जाता है और उसके बाद उसे उच्च शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल को आयातकों द्वारा भारत में आयात किया जाता है, जिसे उसके बाद उच्च शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल (99.9%) में परिवर्तित करने के लिए एक छोटी डिस्टिलेशन प्रक्रिया की जाती है। जांच के प्रयोजन के लिए, विभिन्न शुद्धताओं में आयातित एसिटोनाइट्राइल को 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल में परिवर्तित किया गया है। यह विवादित नहीं है कि कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं है और इसे आगे के उपयोग के लिए उच्च शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल में परिवर्तित किया जाता है।

12. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि एसिटोनाइट्राइल की 98% शुद्धता एसिटोनाइट्राइल का एक अनफिल्टर/ अशुद्ध चरण है, और यदि आवश्यक हुआ, तो यह 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल की आपूर्ति कर सकता है। अशुद्ध और शुद्ध चरण के उत्पादों को अलग-अलग उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। यह भी नोट किया गया है कि उत्पाद के अशुद्ध रूप के लिए कोई बाजार नहीं है। यहां तक कि रूस से आयातित उत्पाद को भी पहले शुद्ध किया जाता है और उसके बाद इच्छित उपयोग के लिए बिक्री की जाती है। अत: यह देखा गया है कि एसिटोनाइट्राइल की 98% शुद्धता एसिटोनाइट्राइल के अनफ़िल्टर/ अशुद्ध चरण के अलावा और कुछ नहीं है।

13. घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित किया है कि भारत में ग्राहक भारतीय उद्योग और संबद्ध देशों के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद का परस्पर उपयोग कर रहे हैं।

14. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का उत्पादन केवल रूसी उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है और संबद्ध वस्तुओं के प्रत्येक उत्पादक को पहले कम शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का उत्पादन करना होता है।

शुद्धिकरण का अगला चरण या तो उत्पादक द्वारा स्वयं किया जाता है या फिर किसी अन्य पक्ष द्वारा किया जाता है। रूस से आयातित विचाराधीन उत्पाद को आयातक द्वारा भारत में शुद्ध किया जाता है और उसके बाद स्थानीय रूप से उपलब्ध समान वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू बाजार में उसकी बिक्री की जाती है।

15. जहां तक अंतिम प्रयोक्ता -आधारित बहिष्करण का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि 98% शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल 99.9% एसिटोनाइट्राइल का अशुद्ध रूप है और इसका कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं है, अत: कोई बहिष्करण अपेक्षित नहीं है।

16. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करने का प्रस्ताव करते हैं।

17. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। आयातित वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का परस्पर उपयोग किया जाता है। इसे देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माने जाने का प्रस्ताव किया गया है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और आधार</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

18. अन्य पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. बालाजी अमाइंस लिमिटेड और जिंदल स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड को वर्तमान जाँच में समर्थकों के रुप में नहीं कहा जा सकता है। आवेदन के समर्थन में केवल एक पत्र दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं होता है।

ii. आवेदन के लिए समर्थन व्यक्त करने वाले समर्थकों को अनिवार्य रूप से दिनांक 27 सितंबर 2018 की व्यापार सूचना संख्या 13/2018 और दिनांक 1 अक्टूबर 2018 की व्यापार सूचना संख्या 14/2018 द्वारा अधिसूचित फार्मेट में सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक है।

घ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

19. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. आवेदक के अलावा, भारत में वस्तुओं के तीन अन्य उत्पादक हैं, अर्थात बालाजी अमाइंस लिमिटेड, जिंदल स्पेशियलिटी केमिकल्स और दीपक नोवोकेम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।

ii. बालाजी अमाइंस लिमिटेड और जिंदल स्पेशियलिटी केमिकल्स ने आवेदन का समर्थन किया है।

iii. आवेदक ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही वह कथित पाटित की गई वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध है।

iv. दिनांक 16 जून 2021 की व्यापार सूचना संख्या 4/2021 के तहत समर्थकों को क्षमता, उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना प्रदान करने के बाद समर्थन प्रदर्शित करने की अनुमति है।

v. यहां तक कि यदि समर्थकों के उत्पादन को छोड़ भी दिया जाए, तो आवेदक का उत्पादन नियमावली के तहत आधार की अपेक्षा को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है :

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।"

21. वर्तमान आवेदन अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। आवेदक के अलावा, देश में संबद्ध वस्तुओं के तीन अन्य भारतीय उत्पादक हैं। बालाजी एमाइंस लिमिटेड और जिंदल स्पेशियलिटी केमिकल दो अन्य उत्पादक हैं जिन्होंने आवेदन का समर्थन किया है। दीपक नोवोकेम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारत में एक अन्य उत्पादक है। तथापि, उत्पादक ने वर्तमान आवेदन पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है।

22. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि समर्थकों द्वारा दायर पत्र को अनदेखा किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें व्यापार सूचना 13/2018 और 14/2018 के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है। प्राधिकारी का यह मानना है कि व्यापार सूचना 13/2018 और 14/2018 के तहत घरेलू उत्पादक को कुछ सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने दिनांक 16 जून 2021 की व्यापार सूचना 4/2021 के तहत समर्थकों को क्षमता, उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना प्रदान करने के बाद समर्थन व्यक्त करने की अनुमति दी है। वर्तमान मामले में समर्थकों ने ऐसी सूचना प्रदान की है। अत: प्रदान किए गए समर्थन की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

23. प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि आवेदक के उत्पादन में भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा [***%] है। इसके अलावा, आवेदक और समर्थकों का संचयी रूप से कुल भारतीय उत्पादन में [***%] हिस्सा है।

24. आवेदक ने यह कहा है कि उसने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयात नहीं किया है। इसके अलावा, यह संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अर्थात भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। इस संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसके अलावा, जांच से यह नहीं पता चला है कि आवेदक विचाराधीन उत्पाद का आयातक है अथवा किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध है।

25. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग में आता है और यह आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. <u>गोपनीयता और विविध अनुरोध</u>

ड़.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: -

i. आवेदक ने अविश्वसनीय आयात डेटा का उपयोग किया है।

ii. आवेदक ने पीसीएन वार डेटा प्रस्तुत नहीं किया है।

ड़.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

27. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: -

i. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि आयात डेटा कैसे अविश्वसनीय है। प्राधिकारी वैसे भी डीजीसीआईएंडएस अथवा डीजी सिस्टम से आयात संबंधी डेटा की मांग करेंगे और आयात की मात्रा और कीमत की जांच के लिए उसी पर भरोसा करेगा।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा पीसीएन वार डेटा के संबंध में, आवेदक ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसने 99.9% से कम शुद्धता के साथ उत्पाद की आपूर्ति की

है और इसीलिए पीसीएन वार सूचना प्रदान किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

ड़.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

28. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया है। किसी भी पक्षकार ने गोपनीयता के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। अत: सभी पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता को स्वीकार कर लिया गया है।

29. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने अविश्वसनीय आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत करने के प्रयोजन के लिए डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है और आवेदन में सूचित किए गए आयातों की मात्रा और कीमत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं पाया गया तथा प्राधिकारी ने जांच की शुरूआत करने के चरण में इसकी मात्रा निर्धारित की है। घरेलू उद्योग द्वारा सूचित किए गए आयातों की मात्रा और मूल्य तथा डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आंकड़ों का मिलान किया गया है, जिससे इस संबंध में आवेदन में पर्याप्त साक्ष्य दिखाई दिए।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

30. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना की जानी चाहिए।

च.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

31. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. एक्सेसन प्रोटोकॉल और प्राधिकारी की प्रथा के अनुसार, चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए। बाजार अर्थव्यवस्था उपचार की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब इसका दावा किया जाए और इसकी उपयुक्तता प्रदर्शित की जाए।

ii. चीन के 4 उत्पादकों ने भाग लिया है, लेकिन वर्तमान जांच में चीन के किसी भी उत्तर देने वाले उत्पादक ने एमईटी दाखिल नहीं किया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

iii. रूस और ताइवान के उत्पादकों ने वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया है, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर दाखिल नहीं किया है। जहां तक रूस और ताइवान का संबंध है, पाटन मार्जिन के लिए उनके दावे निर्विवाद हैं।

iv. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है और पाटन में तेजी आई है। औसत विश्लेषण भी अनुचित होगा, क्योंकि भाग लेने वाले उत्पादकों में से एक उत्पादक ने जांच की अवधि में केवल एक माह में ही निर्यात किया है। पूरी जांच की अवधि के लिए सामान्य मूल्य/ क्षति रहित कीमत की तुलना किसी विशेष जांच की अवधि के लिए निवल निर्यात कीमत तथा पहुंच कीमत से करना अत्यधिक भ्रामक होगा।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

32. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है :

"(ग) किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है -

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या भू-भाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या भू-भाग की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्र के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा-

(क)समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या भू-भाग से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

33. निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल किया गया है:

i. शांदोंग कुंडा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

ii. नानटोंग लियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

iii. वेफ़ांग झोंगहुई केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.

34. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित आधारों पर पाटन मार्जिन के तिमाही निर्धारण का अनुरोध किया है : -

i. जांच की अवधि में आयात मूल्य में भारी गिरावट आई है।

ii. उत्पादकों में से एक उत्पादक ने जांच की अवधि में केवल एक माह में निर्यात किया है और औसत सामान्य मूल्य के साथ औसत निर्यात मूल्य की तुलना उचित नहीं होगी।

35. नीचे दी गई तालिका जांच की अवधि में तिमाही आयात मात्रा और आयात मूल्य को दर्शाती है: -

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**तीसरी तिमाही 2022-23**	**चौथी तिमाही 2022-23**	**पहली तिमाही 2023-24**	**दूसरी तिमाही 2023-24**
क	**आयात की मात्रा**					
1	चीन जन. गण.	मी टन	2,579	2,080	2,314	3,770

2	रुस	मी टन	522	320	792	414
3	ताइवान	मी टन	38	466	498	740
ख	**आयात कीमत**					
4	चीन जन. गण.	रु./ मी टन	170,241	159,658	139,656	118,832
5	रुस	रु./ मी टन	130,389	134,390	137,947	112,300
6	ताइवान	रु./ मी टन	178,797	178,098	135,856	118,968

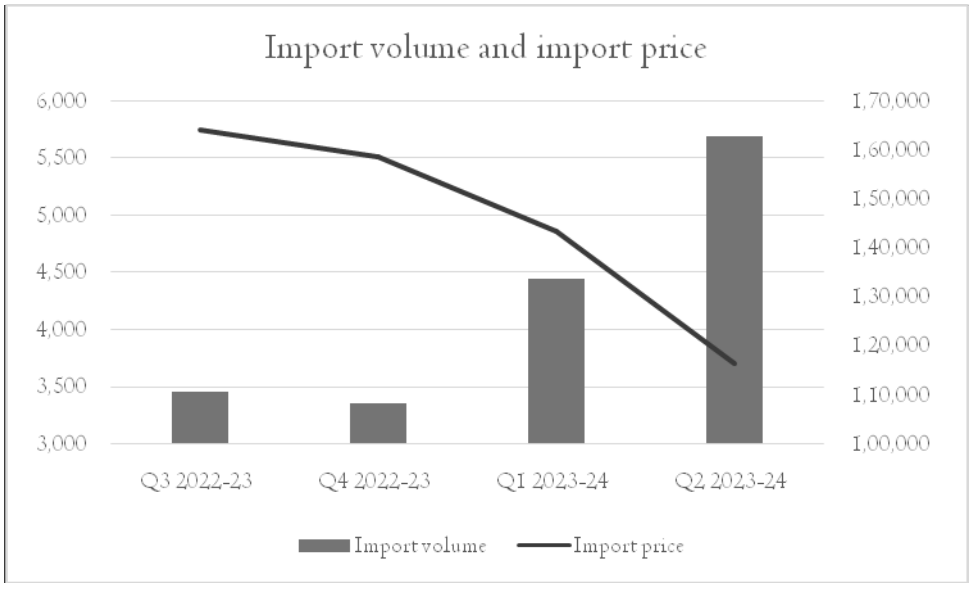

36. यह देखाने में आया है कि आयातों की कीमत में गिरावट आने के साथ ही आयात की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान समय अवधि के साथ आयात कीमत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। प्राधिकारी ने प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा संबद्ध देशों से सूचित किए गए आयातों की भी अतिरिक्त जांच की है। यह देखा गया है कि उत्पादकों में से एक उत्पादक ने केवल दो माह में निर्यात की सूचना दी है। अत: प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि औसत आधार पर विश्लेषण करना उचित नहीं होगा।

क्र.	**तिमाही**	**यूओएम**	**नानटोंग**	**शानडोंग कुंडा**	**वेइफांग झोंगझुई**

सं.			लियांग		
1	तीसरी तिमाही 2022-23	मी टन	***	***	***
2	चौथी तिमाही 2022-23	मी टन	***	***	***
3	पहली तिमाही 2023-24	मी टन	***	***	***
4	दूसरी तिमाही 2023-24	मी टन	***	***	***

क्र. सं.	तिमाही	यूओएम	नानटोंग लियांग	शानडोंग कुंडा	वेइफांग झोंगझुई
1	तीसरी तिमाही 2022-23	$/ मी टन	***	***	***
2	चौथी तिमाही 2022-23	$/ मी टन	***	***	***
3	पहली तिमाही 2023-24	$/ मी टन	***	***	***
4	दूसरी तिमाही 2023-24	$/ मी टन	***	***	***

37. पाटन मार्जिन का तिमाही निर्धारण करने के लिए पर्याप्त औचित्य है। तदनुसार, प्राधिकारी ने तिमाही आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है।

I. **<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>**

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

38. प्राधिकारी चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 और पैरा 8 के तहत प्रावधान इस प्रकार हैं :

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत सहित, आवश्यकतानुसार विधिवत समायोजन करके, तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, तो किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबंधित देश के विकास के स्तर तथा विचाराधीन उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति से एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा । चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विषय में सूचित किया जाएगा और उसे अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है अथवा माना गया है, एक गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर -बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर

सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या : (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों की प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्वता की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते है; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं, जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

39. जांच शुरुआत के चरण में, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के देश के रूप में मानने की धारणा के साथ आगे की कार्रवाई की। जांच शुरु होने पर, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों/ निर्यातकों को यह परामर्श दिया कि वे जांच शुरु होने की सूचना का उत्तर दें और इस संबंध में सूचना प्रदान

करें कि क्या उनके डेटा/ सूचना को सामान्य कीमत निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन. गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार/ पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

40. विश्व व्यापार संगठन में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"(क) जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे :

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य या तो जांच अधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है :

यदि जांच अधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यू टी ओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटरवेलिंग उपायों के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यू टी ओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन. गण. के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (ii) के अंतर्गत प्रावधान दिनांक 11 दिसंबर 2016 से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) के अंतर्गत अनिवार्यता के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान के लिए एमईटी

स्थिति का दावा करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/ आंकड़ों के माध्यम से पसटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा करना आवश्यक है।

42. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 8 में उल्लिखित आकलनों का खंडन करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध -I के पैरा 7 के अनुसार आगे कार्रवाई करनी होगी।

43. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध -I के पैरा 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के तीन तरीके निर्धारित किए गए हैं: (क) किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित कीमत के आधार पर; (ख) किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उपयुक्त आधार पर। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम किसी सरोगेट देश में कीमत अथवा निर्मित कीमत के आधार पर अथवा ऐसे किसी देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।

44. आवेदन दाखिल किए जाने के चरण में, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत अथवा भुगतान योग्य कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल किए जाने के लिए, आवश्यकता के अनुसार विधिवत समायोजित किया जाना चाहिए।

45. पहले और दूसरे तरीके के आधार पर सामान्य मूल्य के विचार के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/ साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। अत: प्राधिकारी ने तीसरे तरीके, अर्थात किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर किया जा सकता है। इस

प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ को उपयुक्त रुप से शामिल किए जाने के साथ ही घरेलू उद्योग के उत्पादन की अनुकूलन लागत पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

ख. चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत

i. **<u>वेफ़ांग झोंगहुई केमिकल कंपनी लिमिटेड</u>**

46. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] मीट्रिक टन मूल्य [***] अमरीकी डॉलर की सूचना दी है। उत्पादक ने यह दावा किया है कि उसने सीधे भारत में उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबद्ध/ असंबद्ध पक्षकार शामिल नहीं है। उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। जहाँ तक आवश्यक समझा गया, अतिरिक्त/ अनुपूरक सूचना की मांग की गई। इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए केवल आवश्यक सुधार के साथ ऐसी सत्यापित सूचना पर ही भरोसा किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

ii. **<u>शेडोंग कुंडा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड</u>**

47. उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] मीट्रिक टन मूल्य [***] अमेरिकी डॉलर की रिपोर्ट की है। उत्पादक ने यह दावा किया है कि उसने सीधे भारत में उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबद्ध/ असंबद्ध पक्षकार शामिल नहीं है। उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। जहां तक आवश्यक समझा गया, अतिरिक्त/ अनुपूरक सूचना की मांग की गई। इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए, जहां भी लागू हो, आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित

सूचना पर ही भरोसा किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

iii. **<u>नानटोंग लियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड</u>**

48. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में [***] मीट्रिक टन मूल्य [***] अमेरिकी डॉलर की सूचना दी है। उत्पादक ने यह दावा किया है कि उसने सीधे भारत में उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबद्ध/ असंबद्ध पक्षकार शामिल नहीं है। उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यात कीमत में विभिन्न समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सूचना का डेस्क सत्यापन किया। जहाँ तक आवश्यक समझा गया, अतिरिक्त/ अनुपूरक सूचना की मांग की गई। इन अंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन से केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर ही भरोसा किया गया है, जिसमें जहाँ भी लागू हो, आवश्यक सुधार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

ग. चीन जन. गण. से सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

49. चीन से अन्य असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है।

II. <u>रूस के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

50. रूस से एक उत्पादक साराटोवोर्जिनेजेज एलएलसी ने पंजीकरण कराया था, लेकिन कोई उसने कोई उत्तर दाखिल नहीं किया था। रूस से उत्तर प्राप्त न होने के चलते, नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रूस के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है।

51. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि रूस से आयात कम शुद्धता के एसीटोनाइट्राइल का है, जिसकी आपूर्ति घरेलू उद्योग ने नहीं की है। कैरव केमोफार्बे

इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एसीटोनाइट्राइल को कम शुद्धता से उच्च शुद्धता (यानी, 98% से 99.9% शुद्धता) में परिवर्तित करने में प्रति किलोग्राम [***] रुपये की प्रसंस्करण लागत का दावा किया है, जबकि आवेदक ने इसी तरह के रूपांतरण के लिए प्रति किलोग्राम [***] रुपये की आसवन लागत प्रदान की है। इसके अलावा, कैरव केमोफार्बे इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एसीटोनाइट्राइल को कम शुद्धता से उच्च शुद्धता में परिवर्तित करने में [***]% की मात्रा हानि का दावा किया है। आवेदक ने इस तर्क का खंडन किया है और दावा किया है कि संपूर्ण आसवन (शुद्धिकरण) संचालन में मात्रा की हानि [***]% है, तथा 98% से 99.9% शुद्धता तक [***]% से कम है। कैरव केमोफार्बे इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत सरकार की मानदंड समिति के कार्यवृत्त पर भरोसा किया है, जो कम शुद्धता से उच्च शुद्धता में एसीटोनाइट्राइल के रूपांतरण के लिए तदर्थ मानदंड प्रदान करता है और प्राधिकरण ने उसी पर भरोसा किया है।

52. घरेलू उद्योग केवल 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का उत्पादन करता है, अत: 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का डेटा घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध नहीं है और 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल के लिए सामान्य मूल्य की गणना नहीं की जा सकती है। निष्पक्ष तुलना के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी रूस से आयात कीमत में 98% से 99.9% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल में होने वाली मात्रा की हानि और कनवर्सन लागत का समायोजन किए जाने का प्रस्ताव करते हैं, जो कि 98% शुद्धता का एसिटोनाइट्राइल है।

53. डीजीसीआईएंडएस के लेन देन वार आंकड़ों से निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है। चूंकि सूचित किया गया डेटा सीआईएफ स्तर पर है, अत: समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा कमीशन, स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्क के लिए समायोजन किए गए हैं। इसके अलावा, निर्यात कीमत की गणना में ऊपर उल्लिखित समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत का नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

III. <u>ताइवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

54. ताइवान के एक उत्पादक, फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन ने पंजीकरण कराया था, लेकिन कोई उत्तर दाखिल नहीं किया है। ताइवान से उत्तर प्राप्त न होने के चलते, ताइवान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

IV. <u>पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

55. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन नीचे दिया गया हैं :

क्र. सं.	**उत्पादक**	**सामान्य मूल्य**	**निर्यात कीमत**	**पाटन मार्जिन**		
		यूएसडी/ मी टन	**यूएसडी/ मी टन**	**यूएसडी/ मी टन**	**%**	**(रेंज)**
क	**चीन**					
1	शानडोंग कुडा बायोटैक्नॉलोजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20%
2	नानटोंग लियांग कैमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20%
3	वेइफांग झोंगहुई कैमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30%
4	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30%
ख	**रुस**					
1	कोई उत्पादक	***	***	***	***	20-30%
ग	**ताइवान**					
1	कोई उत्पादक	***	***	***	***	20-30%

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन</u>

छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

56. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. वर्ष 2021-22 एक असामान्य अवधि थी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के चलते क्षति का निर्धारण करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ii. वर्ष 2022 से 2024 तक एसिटिक एसिड की कीमत में कमी आने के कारण आयातों की कीमतों में गिरावट आई है।

iii. क्षमता विस्तार के कारण आवेदक के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा है।

iv. प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि आवेदक ने वर्ष 2022-23 में क्षमता विस्तार क्यों किया, जिससे निश्चित उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

v. प्राधिकारी को उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई को उस समय उचित लाभ मार्जिन के रूप में अपनाना चाहिए, जबकि पा**टन** का कोई आरोप नहीं था, न कि 22% आरओसीई को ।

vi. क्षति विश्लेषण के लिए रूस से किए गए निर्यातों को संचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा की शर्तों के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत अंतिम आवश्यकता पूरी नहीं होती है। रूस द्वारा उत्पादित 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल और घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री किए जाने वाले तथा चीन और ताइवान से आयात किए जाने वाले 99% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल के बीच कोई सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं है।

vii. उपभोक्ता रूस से आयात किए गए उत्पाद और आवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद का परस्पर उपयोग नहीं कर रहे हैं। 99% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल को फार्मास्युटिकल उद्योग को बेचा जा रहा है, जबकि 98% शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल को निर्माताओं द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जो इसे 99% अथवा उससे अधिक शुद्धता के एसिटोनाइट्राइल का उत्पादन करने के लिए आगे डिस्टिल करते हैं।

viii. रूसी आयात कीमत निरंतर अन्य देशों की कीमतों से कम है। डब्ल्यूटीओ पैनल ने यूरोपीय समुदाय - ब्राजील से मेलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क मामले में माना कि कीमतों में समानांतर वृद्धि अथवा कमी प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को निर्धारित करने के लिए एक आवश्यक संकेतक नहीं है। अत: रूसी आयातों की कीमत को संचित नहीं किया जा सकता है।

ix. घरेलू उद्योग की बिक्री में पूरी क्षति अवधि के दौरान केवल वृद्धि हुई है और यह संबद्ध आयातों से प्रभावित अथवा प्रेरित नहीं हुई है।

x. घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से आयातों से स्वतंत्र रह कर क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार करने में सक्षम रहा है।

xi. जांच की अवधि में उत्पादन और क्षमता के उपयोग में विगत वर्ष की तुलना में पुन: वृद्धि हुई है, यह तब भी, जब संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि आयात और उत्पादन के बीच कोई संबंध नहीं है।

xii. वर्ष 2021-22 में लाभ में गिरावट केवल क्षमता के विस्तार के कारण मूल्यह्रास, ब्याज और अन्य स्थिर लागतों में वृद्धि होने के कारण बिक्री की लागत में वृद्धि होने के कारण है।

xiii. मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया कि कुरकुम्हण में पुराना संयंत्र पुरानी तकनीक के कारण अकुशल है और पुराने संयंत्र को बंद कर दिया गया है और नए संयंत्र का उपयोग उत्पादन के लिए किया गया है।

xiv. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की गणना करने के लिए परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित क्षमता उपयोग द्वारा नए संयंत्र के मूल्यह्रास, ब्याज और अन्य निश्चित खर्चों को विधिवत समायोजित करना चाहिए।

xv. पहुंच कीमतों में गिरावट को कच्ची सामग्री की लागत में वैश्विक कमी, विशेष रूप से एसिटिक एसिड की कीमतों में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

xvi. आवेदक ने मांग में समान वृद्धि किए बिना वर्ष दर वर्ष अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार किया है, जिससे अकुशलताएं हुई हैं।

xvii. अति क्षमता होने के कारण स्थिर लागत में वृद्धि हुई है और उपयोग की दर कम हो गई है, जिससे लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

57. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. वर्ष 2021-22 में आयातों में वृद्धि हुई, लेकिन 2022-23 में इनमें गिरावट आई। यह गिरावट (क) मांग में कमी और (ख) क्षमता विस्तार होने के कारण हुई। जाँच की अवधि में आयातों में फिर से वृद्धि हुई है।

ii. आवेदक और अन्य उत्पादकों द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के कारण खपत के संबंध में आयातों में कमी आई है।

iii. आयात कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से कम है, जिसके कारण सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

iv. यहां तक कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत में वृद्धि हुई है, लेकिन पहुंच कीमत में गिरावट आई है। जैसे-जैसे आयात की कीमत में गिरावट आई है, आयातों की मात्रा में भी वृद्धि हुई है।

v. आयात कीमत और बिक्री लागत दोनों में गिरावट आई है, लेकिन आयात कीमत में गिरावट बहुत अधिक है। आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों लागत से कम है।

vi. कम कीमत के आयातों के चलते घरेलू उद्योग निरंतर कीमत सूची से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हुआ है। जांच की अवधि के दौरान 8 माह में, आवेदक को कीमत सूची में तय की गई कीमत से भी कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर किया गया है।

vii. उपभोक्ताओं ने निश्चित आपूर्ति करने के लिए घरेलू उद्योग के साथ अनुबंध किया था, लेकिन अंततः उन निर्यातकों से खरीद की जो कम कीमतों पर पेशकश करते थे।

viii. आवेदक को घरेलू बाजार में बिक्री करने के अवसरों का तेजी से नुकसान हो रहा है।

ix. आवेदक का उत्पादन और क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता से काफी कम है। जांच की अवधि के कम से कम [***] माह में क्षमता उपयोग [***%] से कम रहा है।

x. कुरकुंभ संयंत्र को केवल बाजार की बाधाओं के कारण [***] दिनों तक बंद रखना पड़ा है

xi. जबकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि क्षति नए संयंत्र के कारण हुई है, आवेदक ने पुराने संयंत्र की तुलना में नए संयंत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है।

xii. जबकि जांच की अवधि में आवेदक के बाजार अंश में गिरावट आई है, लेकिन संबद्ध देशों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है।

xiii. आवेदक अपनी स्थापित क्षमता के संबंध में अपने बाजार अंश में वृद्धि करने में असमर्थ है।

xiv. उत्पादन को रोके जाने के बाद भी आवेदक के पास महत्वपूर्ण निष्क्रिय वस्तुसूची शेष है।

xv. आवेदक ने ब्याज से पूर्व नकदी लाभ और हानि में गिरावट देखी है, जिसके बाद नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

xvi. यद्यपि आवेदक के अधिकांश मात्रात्मक मापदंडों में सुधार आया है, लेकिन अपेक्षित स्तर से कम है और कीमत मापदंडों में भारी गिरावट आई है।

xvii. भारतीय बाजार में किए गए क्षमता विस्तार के कारण भारतीय उद्योग के बाजार अंश में गिरावट आई है।

xviii. अन्य उत्पादक की घरेलू बिक्रियों में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई है, उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है।

xix. चीन के उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं और जिस भी कीमत पर पेशकश की जाती है, उस पर वे निर्यात करते हैं।

xx. चीन से भारत में आयातों की कीमत और अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतों के बीच के अंतर में क्षति अवधि के दौरान 90% के आश्चर्यजनक स्तर तक की गिरावट आई है। यहां तक कि जब अंतर की गणना चीन की कीमतों पर विचार करके की जाती है, तो यह देखा जा सकता है कि आयात कीमत और कच्ची सामग्री की कीमतों के बीच अंतर में तेजी से कमी आई है। यह चीन के उत्पादकों द्वारा किए गए पाटन की मात्रा को दर्शाता है।

xxi. आवेदक की आंतरिक व्यवहार्यता रिपोर्ट से यह देखा जा सकता है कि इसने वर्ष 2023-24 तक करीब [***] मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री की संभावना थी,

लेकिन यह जांच की अवधि में घरेलू बाजार में [***] मीट्रिक टन बेचने में भी सक्षम रहा है।

xxii. आवेदक को [***] करोड़ रुपये] के लाभ के लिए संभावना थी, लेकिन वर्तमान लाभ केवल [***] लाख रुपये] है।

xxiii. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में निरंतर गिरावट आई है और क्षति की तिमाही जांच किए जाने की आवश्यकता है।

xxiv. हितबद्ध पक्षकार ने कोई कारण नहीं बताया है कि वर्ष 2021-22 एक असामान्य अवधि क्यों थी। देश में मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को देखते हुए आवेदक द्वारा क्षमता विस्तार किया गया है।

xxvi. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि 22% के प्रतिफल पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, तो घरेलू उद्योग इस बात से सहमत है कि प्राधिकारी को आवेदक द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में विचार करना चाहिए, जब कोई पाटन नहीं था। प्राधिकारी वर्ष 2021-22 और 2020-21 के दौरान आवेदक द्वारा अर्जित की गई नियोजित पूंजी पर औसत प्रतिफल पर विचार कर सकते हैं।

xxvii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि संचयी आकलन नहीं किया जाना चाहिए, रूसी आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद और अन्य संबद्ध देशों से किए गए आयात के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और संचयी आकलन की शर्तें पूरी होती हैं।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

58. अनुबंध II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के तहत यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण करने में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति होने का संकेत दे सकते हैं, "... सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें पाटित किए गए आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर उसका परिणामी प्रभाव शामिल है..."। कीमतों पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में

समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित किए गए आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में कम करने के लिए अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में हो सकती थी। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले ऐसे संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, वस्तुसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।

59. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यहां हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न आवेदनों को संबोधित करता है।

60. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि दावा की गई क्षति नई क्षमता के कारण है जो इष्टतम स्तर पर संचालन नहीं कर रही है। नीचे दी गई तालिका दोनों संयंत्रों के लिए घरेलू उद्योग की प्रति इकाई लाभप्रदता को दर्शाती है। जबकि प्राधिकारी को घरेलू समान उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग के संचालन को होने वाली क्षति की समग्र रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता है, अत: यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को दोनों संयंत्रों के संबंध में लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा है। यह भी देखने में आया है कि घरेलू उद्योग ने पुराने संयंत्र की तुलना में नए संयंत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। अत: यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
1	कुरकुम्भ संयंत्र	₹/ मी टन	***	***	***	(***)
2	दाहेज संयंत्र	₹/ मी टन	***	***	***	***

61. हितबद्ध पक्षों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि दावा की गई क्षति क्षमता विस्तार के कारण से हुई है जिसके कारण अधिक मूल्यह्रास और ब्याज लागत हुई है। नीचे दी गई तालिका में ब्याज लागत, ब्याज पूर्व लाभ, मूल्यह्रास, नकदी लाभ और मूल्यह्रास

एवं ब्याज पूर्व लाभ को दर्शाया गया है। यह देखने में आया है कि आवेदक द्वारा क्षमता विस्तार किए जाने पर ब्याज और मूल्यह्रास लागत वर्ष 2021-22 में कम हुई, वर्ष 2022-23 में वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि के दौरान पुन: कम हो गई। यह भी देखने में आया है कि जांच की अवधि में ब्याज पूर्व लाभ और नकदी लाभ में भी गिरावट आई है। अत: यह तर्क कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का कारण क्षमता विस्तार है, इसके समर्थन में कोई डेटा नहीं है।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जाच की अवधि**
1	ब्याज लागत	₹/ मी टन	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	49	57	50
3	ब्याज पूर्व लाभ	₹/ मी टन	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	16	8	0
5	मूल्यह्रास	₹/ मी टन	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	116	235	183
7	नकदी लाभ	₹/ मी टन	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	19	14	5
9	मूल्यह्रास और ब्याज पूर्व लाभ	₹/ मी टन	***	***	***	***
10	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	19	15	5

62. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया था कि वे उस अवधि के दौरान, जब कोई पाटन नहीं हुआ था. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रतिफल पर विचार करे। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के अंतर्गत इस संबंध में संगत दिशानिर्देश अच्छी तरह से निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकारी ने निरंतर नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल की अनुमति दी है और चूंकि उन्हें अपनी स्थापित

प्रथा से हटकर काम करने का कोई उचित कारण नहीं दिखाई देता, अत: वर्तमान जांच में भी इसे ही अपनाया गया है।

63. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि ऐसे मामले में जहां पर एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात पर एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही हो, प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी तौर पर आकलन करेंगे, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि :

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत (या अधिक) है अथवा जहां पर अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां पर संचित तौर पर आयात समान वस्तु के आयातों का सात प्रतिशत से अधिक है, और

ख. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी तौर पर आकलन किया जाना उचित है।

64. रूस में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के संबंध में, प्राधिकारी ने यह पाया है कि रूस से आयातित विचाराधीन उत्पाद को प्रसंस्करण किए जाने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा में बेचा जाता है। यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के समान वस्तु है और दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से तुलनात्मक हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि आयातित उत्पाद को शुद्ध किया जाता है और उसके बाद उसे घरेलू उद्योग, भारत में अन्य उत्पादकों और अन्य संबद्ध देशों से आयात करके बेचे गए उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा में बेचा जाता है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयात कीमत में समान वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है।

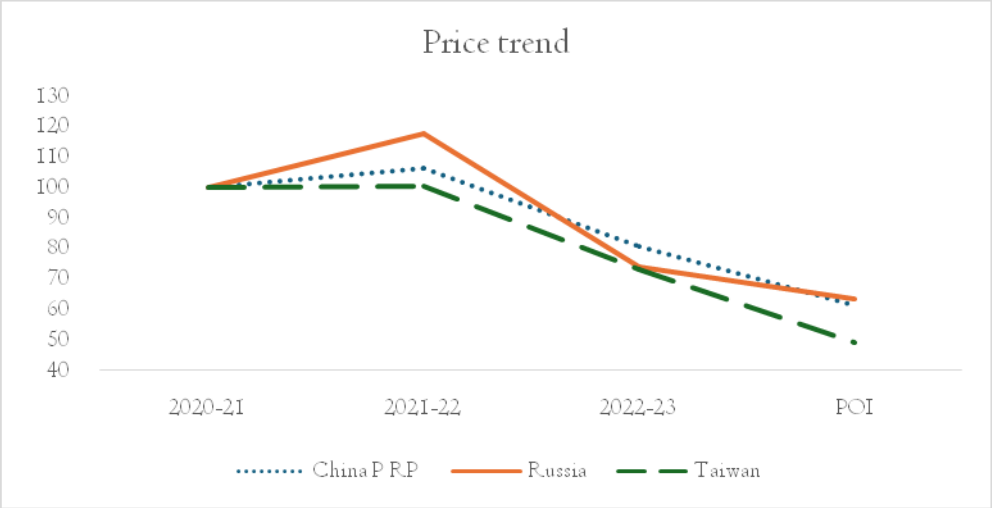

65. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि :

क. संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देशों से भारत में पाटित किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा के 3% से अधिक है।

ग. आयातों के प्रभावों का संचयी रुप से आकलन किया जाना उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयातों की न केवल उनमें से प्रत्येक देश द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा होती हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा होती हैं।

66. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इस पर विचार करते हैं कि घरेलू उद्योग पर चीन जन. गण., रूस और ताइवान से संबद्ध वस्तुओं के पाटित किए गए आयातों के प्रभाव का संचयी रुप से आकलन करना उचित है।

छ.3.1 <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

क) <u>मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन</u>

67. प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, समर्थकों की घरेलू बिक्री, अन्य भारतीय उत्पादकों की अनुमानित बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया है। रूस के लिए आयातों मात्रा पर कैरव केमोफार्बे इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सूचित की गई मात्रात्मक हानि पर विचार किए जाने के बाद विचार किया गया है। चूंकि अन्य देशों से कम शुद्धता के आयातों के लिए भी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है, अत: उसी मात्रात्मक हानि पर विचार किया गया है।

68. इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
1	घरेलू उद्यो की बिक्री	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	111	135	163
2	समर्थको की बिक्रियां	मी टन	***	***	***	***
	प्रवति	सूचीबद्ध	100	55	38	31
3	अन्य उत्पादक	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	678	374	329
4	संबद्ध देशों से आयात	मी टन	13,192	13,499	9,960	14,700
5	अन्य देशों से आयात	मी टन	3,954	4,342	2,259	3,551
6	कल मांग	मी टन	***	***	***	***

69. यह देखने में आया है कि वर्ष 2021-22 में मांग में वृद्धि हुई, 2022-23 में कमी आई और जांच की अवधि में पुन: वृद्धि हो गई। घरेलू उद्योग ने यह कहा कि कोविड के बाद रिकवरी के चलते वर्ष 2021-22 में कुछ खपत में वृद्धि हुई थी, साथ ही वर्ष 2021-22 में भी पक्षकारों द्वारा कुछ अधिक खरीद भी की गई थी और वास्तविक खपत के आंकड़ों में दर्शाई गई सीमा तक वृद्धि नहीं हुई। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि 2021-22 के अंत में उपभोक्ताओं के पास कुछ सामग्री स्टॉक में

रह गई थी, जिसका उपभोग वर्ष 2022-23 में किया गया था, जिससे वर्ष 2022-23 में खपत के आंकड़ों में कमी आई। हितबद्ध पक्षकारों का घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध पर कोई विवाद नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि में मांग में वृद्धि हुई है।

ख) <u>संबद्ध देशों से आयात की मात्रा</u>

70. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयात में, चाहे निरपेक्ष रूप से हो अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष हो, कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त लेनदेन-वार आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और पाटित आयात का हिस्सा इस प्रकार है :

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
1	संबद्ध देश	मी टन	13,192	13,499	9,960	14,700
क	चीन जन. गण.	मी टन	9,851	9,853	7,278	10,743
ख	रुस	मी टन	1,276	1,798	1,732	2,215
ग	ताइवान	मी टन	2,065	1,847	951	1,742
2	अन्य देश	मी टन	3,954	4,342	2,259	3,551
3	निम्नलिखित के संबंध में आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
ख	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
ग	कुल आयात	%	***	***	***	***

71. यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। आयात में वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप थी। वर्ष 2022-23 में आयातों में गिरावट आई लेकिन जांच की अवधि में पुन: वृद्धि हुई है। आयातों में यह वृद्धि विचाराधीन

उत्पाद की मांग में वृद्धि से अधिक है। जहां मांग में *** % की वृद्धि हुई है, वहीं आयातों में ***% की वृद्धि हुई है।

72. यह बताया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति के अंतर की मौजूदगी के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 में आयातों की मात्रा अधिक थी। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 में क्षमता करीब [***] मी टन] थी। घरेलू उद्योग ने [***] करोड़] रुपये के निवेश के साथ [***] मी टन] का एक नया संयंत्र स्थापित करके अपनी क्षमता का विस्तार किया है। समर्थक जिंदल स्पेशियलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी [***] करोड़] रुपये से अधिक का निवेश किया है और [***] मी टन] की एक नई क्षमता की स्थापना की है। इस प्रकार, देश में नई और पर्याप्त क्षमताओं की स्थापना किए जाने के बाद भी, जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

73. यह भी देखा गया है कि उत्पादन और खपत के संबंध में आयात वर्ष 2021-22 में कम हुए हैं और वर्ष 2022-23 में और भी कमी आई है तथा जांच की अवधि में पुन:वृद्धि हो गई है। जबकि आधार वर्ष की तुलना में खपत के संबंध में आयात में कमी आई है, ऐसा घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों द्वारा की गई क्षमता वृद्धि के कारण हुआ है। तत्काल पूर्व के वर्ष की तुलना में, संबद्ध देशों से आयातों में उत्पादन के संबंध में *** % की वृद्धि हुई है, जबकि खपत के संबंध में *** % की वृद्धि हुई है।

छ.3.2 <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

74. नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, पाटित आयातों की कीमतों पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित किए गए आयातों के कारण कीमत में महत्वपूर्ण कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में हो सकती थी।

क) मूल्य का विकास

75. नीचे दी गई तालिका में भारत में आयात कीमत और दो प्रमुख कच्ची सामग्रियों की वैश्विक कीमतों के संबंध में सूचना को दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	आयातों की पहुंच कीमत	यूएसडी/ मी टन	3,378	3,586	2,480	1,822
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	106	73	54
3	वैश्विक एसिटिक एसिड की कीमतें	यूएसडी/ मी टन	446	911	718	610
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	204	161	137
5	वैश्विक एनहाइड्रस अमोनिया की कीमतें	यूएसडी/ मी टन	268	699	1,033	709
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	261	385	265
7	प्रमुख कच्ची सामग्रियों के संबंध में लागत	यूएसडी/ मी टन	833	1,768	1,600	1,286
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	212	192	154

स्रोत ट्रेडमैप डेटा के अनुसार वैश्विक आयात कीमत

76. यह देखने में आया है कि वर्ष 2021-22 में कच्ची सामग्री की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन आयातों की पहुंच कीमत में उसी दर से वृद्धि नहीं हुई। वर्ष 2022-23 में कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट आई है। तथापि, पहुंच कीमत में भी गिरावट आई है। जांच की अवधि में गिरावट की प्रवृति जारी रही है।

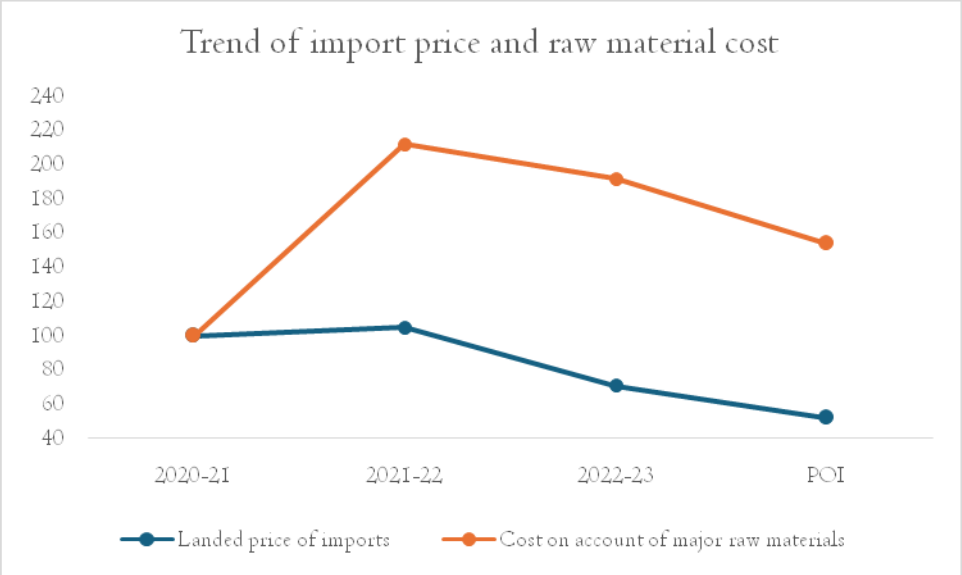

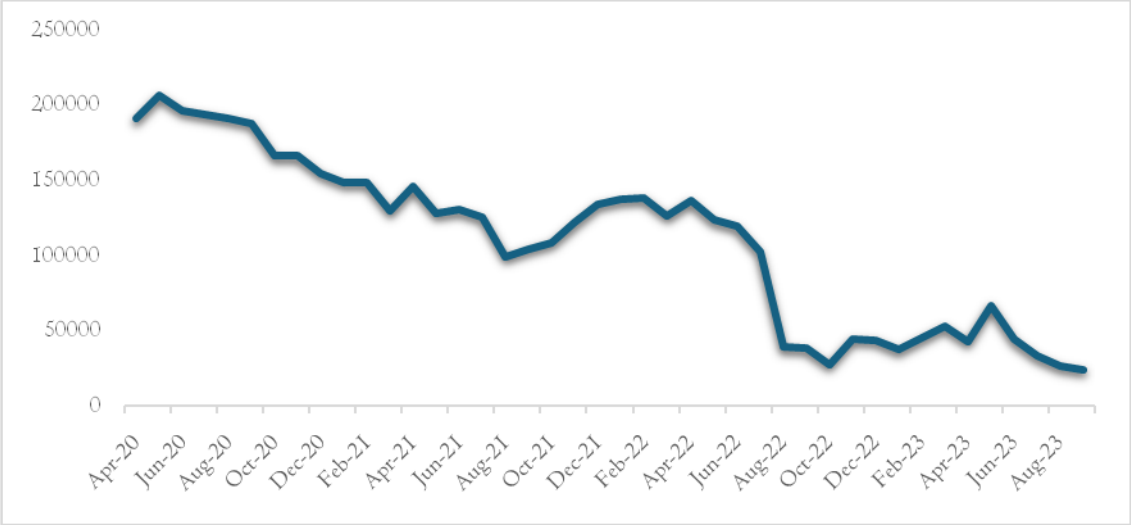

ख) कीमत कटौती

77. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक संबद्ध देश के लिए कीमत कटौती दर्शाई गई है। इसके अलावा, कीमत कटौती जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए निर्धारित की गई है।

चीन

क्र.	विवरण	यूओएम	तीसरी	चौथी	पहली	दूसरी	जांच की

सं.			तिमाही 2022-23	तिमाही 2022-23	तिमाही 2023-24	तिमाही 2023-24	अवधि
1	आयात मात्रा	मी टन	2,579	2,080	2,314	3,770	10,743
2	बिक्री कीमत	₹/ मी टन	***	***	***	***	
3	पहुंच कीमत	₹/ मी टन	184,286	172,830	151,178	128,635	155,406
4	कीमत कटौती	₹/ मी टन	***	***	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
6	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%

ताइवान

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	तीसरी तिमाही 2022-23	चौथी तिमाही 2022-23	पहली तिमाही 2023-24	दूसरी तिमाही 2023-24	जांच की अवधि
1	आयात मात्रा	मी टन	38	466	498	740	1,742
2	बिक्री कीमत	₹/ मी टन	***	***	***	***	
3	पहुंच कीमत	₹/ मी टन	193,548	192,791	147,064	128,783	152,557
4	कीमत कटौती	₹/ मी टन	***	(***)	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	(***)	***	***	***
6	कीमत कटौती	रेंज	0-10 %	(0-10) %	0-10%	0-10%	0-10%

रुस

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	तीसरी तिमाही 2022-23	चौथी तिमाही 2022-23	पहली तिमाही 2023-24	दूसरी तिमाही 2023-24	जांच की अवधि
1	आयात मात्रा	मी टन	542	351	868	454	2,215
2	बिक्री कीमत	₹/ मी टन	***	***	***	***	
3	पहुंच कीमत	₹/ मी टन	139,481	134,602	138,116	112,777	132,697
4	कीमत कटौती	₹/ मी टन	***	***	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
6	कीमत कटौती	रेंज	30-40%	30-40%	10-20%	20-30%	20-30%

समग्र रुप से संबद्ध देश

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	तीसरी तिमाही 2022-23	चौथी तिमाही 2022-23	पहली तिमाही 2023-24	दूसरी तिमाही 2023-24	जांच की अवधि
1	आयात मात्रा	मी टन	3,159	2,897	3,679	4,964	14,700
2	बिक्री कीमत	₹/ मी टन	***	***	***	***	
3	पहुंच कीमत	₹/ मी टन	176,713	171,412	147,541	127,207	151,648
4	कीमत कटौती	₹/ मी टन	***	***	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
6	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%

78. यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान कीमत कटौती में उतार-चढ़ाव आया है। समग्र रुप से, यह देखा गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक है।

ग) कीमत दबाव/ कमी

79. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में कमी आ रही है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण रुप से कम करने के लिए है अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य रूप से हो गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई है।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
1	बिक्रियों की लागत	₹/ मी टन	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	188	144	121
3	परिवर्तन	₹/ मी टन		***	(***)	(***)
4	बिक्री कीमत	₹/ मी टन	***	***	***	***
5	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	99	74	59
6	परिवर्तन	₹/ मी टन		(***)	(***)	(***)

80. यह देखने में आया है कि वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है, बिक्री कीमत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है। वर्ष 2022-23 में बिक्री लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है और बिक्री कीमत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की और भी गिरावट आई है। जांच की अवधि में बिक्री लागत में [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की और भाी गिरावट आई है और बिक्री कीमत में भी [***] रुपये प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि हुई है लेकिन बिक्री कीमत में गिरावट आई है। अत: आयातों के कारण क्षति अवधि के दौरान बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव और कमी आई है।

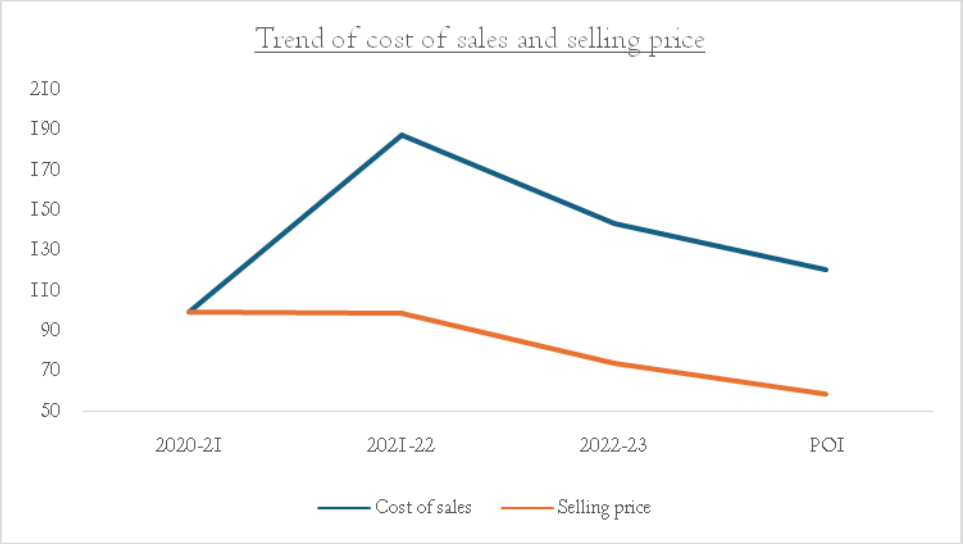

छ.3.3 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

81. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह आवश्यक है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का उद्देश्यपरक और निष्पक्ष आकलन करना शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों के संबंध में नीचे उल्लेख किया गयाहै।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग इस प्रकार थे:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	स्थापित क्षमता	मी टन	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	147	245	238
3	उत्पादन	मी टन	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	121	134	163
5	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
6	प्रवत्ति	सूचीबद्ध	100	82	55	68
7	घरेलू बिक्रियां	मी टन	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	111	135	163
9	निर्यात बिक्रियां	मी टन	***	***	***	***
10	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	172	157

83. यह देखा गया है कि :

क. घरेलू उद्योग ने 150 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 16,500 मीट्रिक टन के एक नए संयंत्र की स्थापना की है। यह बताया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति के अंतर की पूर्ति करने के लिए क्षमता स्थापित की गई थी।

ख. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2022-23 तक कमी आई है लेकिन जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग जांच की अवधि में महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमता के साथ काम कर रहा है।

ग. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादन में वृद्धि उन स्तरों से काफी कम है जो घरेलू उद्योग द्वारा हासिल किए जा सकते थे, यदि यह आधार वर्ष के समान क्षमता उपयोग के स्तर पर संचालित होता।

घ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि देखने में आई है। तत्काल पूर्व वर्ष 2022-23 की तुलना में, जांच की अवधि में घरेलू बिक्री में [***] मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है लेकिन मांग में [***] मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जांच अवधि में घरेलू बिक्री की मात्रा में

वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में संबद्ध आयातों में वृद्धि की तुलना में काफी कम है

ड. घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि प्रतिकूल बाजार स्थितियां होने के कारण, कुरकुंभ संयंत्र को [***] दिनों तक बंद रखना पड़ा और कई ग्राहक ऐसे निर्यातकों के पास चले गए जो पाटित कीमतों पर बिक्री कर रहे हैं।

84. नीचे दी गई तालिका में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री के तिमाही विकास को दर्शाया गया है।

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**तीसरी तिमाही 2022-23**	**चौथी तिमाही 2022-23**	**पहली तिमाही 2023-24**	**दूसरी तिमाही 2023-24**
1	स्थापित क्षमता	मी टन	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	98	94	94
3	उत्पादन	मी टन	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	111	103	101
5	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	113	109	108
7	घरेलू बिक्रियां	मी टन	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	106	103
9	निर्यात बिक्रियां	मी टन	***	***	***	***
10	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	64	120	97

85. यह देखा गया है कि वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही (जो जांच अवधि की दूसरी तिमाही है) में उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है। उसके बाद की दो तिमाहियों में उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू बिक्रियों में भी इसी प्रकार की पद्धति रही है।

ख) बाजार अंश

86. घरेलू उद्योग, समर्थकों, अन्य घरेलू उत्पादक, संबद्ध देशों से आयातों और अन्य देशों से आयातों का बाजार अंश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	102	147	137
3	समर्थक	%	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	51	41	26
5	अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	625	407	275
7	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
8	अन्य देश	%	13%	13%	8%	10%

87. यह देखा गया है कि:

क. घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वर्ष 2021-22 और 2022-23 में वृद्धि हुई है। विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार अंश में गिरावट आई है।

ख. जबकि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में क्षति अवधि की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि देखने मे आई है, जो केवल घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित नए संयंत्र के कारण है।

ग. समर्थकों के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान निरंतर गिरावट आई है।

घ. भारतीय उद्योग के बाजार अंश में वर्ष 2021-22 और 2022-23 में वृद्धि हुई है, लेकिन भारतीय बाजार में किए गए क्षमता विस्तार के बावजूद जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। जबकि उद्योग में देश में पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता है, आयातों से मांग की करीब 50% पूर्ति होती है।

ड. जबकि आयातों के बाजार अंश में वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कमी आई है, इनमें जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

88. नीचे दी गई तालिका में जांच की अवधि के दौरान तिमाही बाजार अंश दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	तीसरी तिमाही 2022-23	चौथी तिमाही 2022-23	पहली तिमाही 2023-24	दूसरी तिमाही 2023-24
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	109	90	76
3	समर्थक	%	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	93	85	74
5	अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	93	85	74
7	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
8	अन्य देश	%	6%	8%	12%	12%

89. यह देखा गया है कि आवेदक के बाजार अंश में वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में वृद्धि हुई है, उसके बाद वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में कमी आई है और वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में और भी कमी आई है। जांच की अवधि की अंतिम तिमाही में आयातों के बाजार अंश में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है।

ग) वस्तुसूची

90. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तुसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	प्रारंभिक वस्तुसूची	मी टन	***	***	***	***

2	अंतिम वस्तुसूची	मी टन	***	***	***	***
3	औसत वस्तुसूची	मी टन	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	284	374	232

91. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास में वस्तुसूची में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई जब उसने नए संयंत्र के लिए उत्पादन शुरू किया। तथापि, वर्ष 2022-23 में वस्तुसूची में वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में पुन: वृद्धि हुई है।

92. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि वस्तुसूची में वृद्धि इस तथ्य के कारण कम हुई है कि उसे अपने उत्पाद की मांग में कमी होने के कारण [***] दिनों के लिए एक संयंत्र के उत्पादन को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा।

93. नीचे दी गई तालिका में क्षति अवधि में वस्तुसूची के तिमाही विकास को दर्शाया गया है।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**तीसरी तिमाही 2022-23**	**चौथी तिमाही 2022-23**	**पहली तिमाही 2023-24**	**दूसरी तिमाही 2023-24**
1	प्रारंभिक वस्तुसूची	मी टन	***	***	***	***
2	अंतिम वस्तुसूची	मी टन	***	***	***	***
3	औसत वस्तुसूची	मी टन	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	145	173	181

94. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत वस्तुसूची में वृद्धि हुई है।

घ) लाभप्रदता, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

95. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	लाभ/ (हानि)	₹ लाख	***	***	***	(***)
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	18	11	0
3	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	18	11	1
5	नकदी लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	21	19	8
7	निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	9	5	0

96. यह देखने में आया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है, जिसके कारण हानि हुई है।

97. यह भी देखने में आया है कि घरेलू उद्योग को नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में काफी गिरावट आई है। जबकि ब्याज और कर पूर्व लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल सकारात्मक हैं, जो बहुत कम हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को होने होने वाली क्षति घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के कारण हो सकती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, मूल्यह्रास और ब्याज के प्रभाव को हटाने के बाद भी उद्योग की लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है। अत: घरेलू उद्योग को हुई क्षति को किए गए क्षमता विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

98. नीचे दी गई तालिका में क्षति अवधि में तिमाही लाभप्रदता को दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	तीसरी तिमाही 2022-23	चौथी तिमाही 2022-23	पहली तिमाही 2023-24	दूसरी तिमाही 2023-24

1	लाभ/ (हानि)	₹/ मी टन	***	***	(***)	(***)
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	110	-44	-170
3	लाभ/ (हानि)	₹ लाख	***	***	(***)	(***)
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	110	-38	-159
5	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	66	-622
6	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	113	8	-76
7	नकदी लाभ	₹ लाख	***	***	(***)	(***)
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	110	-38	-159
9	निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
10	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	9	5	0

99. यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग वर्ष 2022-23 की तीसरी और चौथी तिमाही (जांच अवधि की पहली दो तिमाहियों) में लाभ में था। वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (जांच अवधि की तीसरी तिमाही) में हानि नकारात्मक हो गई है। जांच की अवधि की अंतिम तिमाही के दौरान हानियों में वृद्धि हो गई है।

100. यह भी देखने में आया है कि ब्याज और कर पूर्व लाभ और नकदी लाभ समग्र रूप से जांच की अवधि में सकारात्मक थे। जो 2023-24 की पहली तिमाही (जांच अवधि की तीसरी तिमाही) और जांच अवधि की अंतिम तिमाही के दौरान नकारात्मक हो गए हैं। जांच की अवधि के अंत में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल भी काफी नकारात्मक है।

ड़) **रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी**

101. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है: -

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**

1	वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
2	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	87	80	74
3	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
4	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	218	218	218
5	प्रति दिन उत्पादकता	मी टन / दिन	***	***	***	***
6	प्रतिदिन	सूचीबद्ध	100	161	134	163
7	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी टन/ संख्या	***	***	***	***
8	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	55	61	75

102. यह देखने में आया है कि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में सुधार आया है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा क्षमता विस्तार किए जाने के कारण रोजगार उत्पन्न हुआ है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने इस संबंध में क्षति का दावा नहीं किया है।

च) वृद्धि

103. वृद्धि के संबंध में सूचना नीचे दी गई तालिका में दी गई है:-

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
1	क्षमता	%	***	***	(***)
2	संयंत्र उत्पादन	%	***	***	***
3	घरेलू बिक्री	%	***	***	***
4	औसत वस्तुसूची	%	***	***	(***)
5	प्रति इकाई लाभ/ (हानि)	%	(***)	(***)	(***)
6	लाभ/ (हानि) लाख रुपये	%	(***)	(***)	(***)
7	कर पूर्व लाभ लाख रुपये	%	(***)	(***)	(***)

8	नकदी लाभ लाख रुपये	%	(***)	(***)	(***)
9	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	(***)	(***)	(***)

104. यह देखने में आया है कि लाभप्रदता, नकदी लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल सहित कीमत मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

105. यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग ने दाहेज में संबद्ध वस्तुओं के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया था, जिसने वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में उत्पादन शुरू किया था। तथापि, आयातों के कारण आवेदक के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित प्रतिफल [***] % से कम है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग की पूंजी जुटाने की क्षमता कमजोर हो गई है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

106. यह देखने में आया है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों और लागतों में कमी आ रही है। इसके परिणामस्वरूप, आयातों से घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। घरेलू उद्योग भारत में अपनी लक्षित कीमत हासिल करने में असमर्थ है। यह तथ्य कि आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं तथा घरेलू उद्योग को लाभप्रदता में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा है, अत: यह पाटित किए गए आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित करता है। अत: संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

i) पाटन की मात्रा

107. पाटन की मात्रा इस बात का सूचक है कि आयातों का भारत में किस सीमा तक पाटन किया जा रहा है। जांच से पता चला है कि जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3.4 <u>क्षति का समग्र आकलन</u>

108. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से पता चलता है कि:

क. संबद्ध देशों से आयातों में जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जांच की अवधि की तिमाही अवधि के साथ तुलना में आयातों की मात्रा में अधिक वृद्धि देखने में आई है। समग्र रूप से, संबद्ध देशों से आयातों में क्षति अवधि के दौरान मामूली वृद्धि हुई है।

ख. आयात कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से कम है, जिसके कारण सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

ग. जांच की अवधि में बिक्री की लागत में कमी आई है, जबकि बिक्री कीमत में गिरावट अधिक है। घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई हैं।

घ. आवेदक का उत्पादन और क्षमता उपयोग आवेदक की स्थापित क्षमता से काफी कम है।

च. जांच की अवधि में आवेदक के बाजार अंश में कमी आई है, जबकि संबद्ध देशों के अंश में वृद्धि हुई है। आवेदक अपनी स्थापित क्षमता के अनुरूप अपने बाजार अंश में वृद्धि करने में असमर्थ है।

च. उत्पादन को रोके जाने के बावजूद आवेदक के पास काफी मात्रा में अतिरिक्त वस्तुसूची बची हुई है।

छ. आवेदक को वित्तीय हानि हुई है।

ज. आवेदक के नकदी लाभ में गिरावट आई है और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

झ. आवेदक की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अधिकांश मात्रात्मक मापदंडों में सुधार आया है, लेकिन अपेक्षित स्तर से नीचे हैं तथा कीमत संबंधी मापदंडों में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

ञ. तिमाही आधार पर आवेदक की लाभप्रदता में निरंतर गिरावट आई है। आवेदक पहली दो तिमाहियों (जो कम थीं) में लाभ में था। जांच की अवधि की अंतिम दो तिमाहियों में गंभीर हानि में आ गया है।

ट. ब्याज पूर्व लाभ, नकदी लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल जांच की अवधि में मामूली रूप से सकारात्मक रहा है, लेकिन तिमाही आधार पर देखा जाए तो पिछली दो तिमाहियों में नकारात्मक हो गया है।

ठ. पूंजी जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज. ज. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

109. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा ऐसे किसी अन्य ज्ञात कारक की जांच करने की आवश्यकता है जिसके कारण उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संबंध में जो कारक संगत हो सकते हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ, पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी अथवा उपभोग की पद्धति में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात प्रदर्शन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों का भी क्षति में योगदान हो सकता है, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

110. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि असंबद्ध देशों से आयात महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं हैं। अत: क्षति तीसरे देशों से आयातों के कारण नहीं है।

ख. मांग में कमी

111. विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि देखने में आई है। अत: मांग में गिरावट क्षति का कारण नहीं हो सकती। इस प्रकार, मांग में संभावित कमी होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ग. खपत की पद्धति में परिवर्तन

112. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई ज्ञात भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

113. संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं है और कोई प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाई गई हैं।

ड़. प्रौद्योगिकी में विकास

114. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. उत्पादकता

115. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अत: घरेलू उद्योग को इस कारण से क्षति नहीं हुई है।

छ. निर्यात निष्पादन

116. आवेदक ने समान उत्पाद की घरेलू बिक्री की तुलना में काफी कम निर्यात किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू और निर्यात परिचालनों के लिए अलग-अलग आंकड़ों पर भरोसा किया है। इस प्रकार, निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट उपरोक्त मानी गई क्षति का कारण नहीं है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

117. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन के संबंध में आंकड़ों पर विचार किया है। अत: उत्पादित और बिक्री किए गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति होने का संभावित कारण नहीं है।

झ. <u>कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष</u>

118. जबकि नियमों के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है।

i. आयात कीमत में कच्ची सामग्री की लागत में परिवर्तन की प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं किया गया है। जबकि क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि हुई है, आयात कीमत में क्षति अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई है।

ii. जांच अवधि के दौरान देखा जाए तो आयात ीमत में गिरावट आई है और आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

iii. भारतीय बाजार में निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम है।

iv. जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत आवेदक की बिक्री कीमत से कम रही है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

v. जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, जिसके कारण घरेलू उद्योग पर्याप्त लाभकारी कीमतों पर बिक्री करने में असमर्थ रहा है।

vi. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जांच की अवधि में आवेदक को हानि हुई है।

vii. आयातों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है और आवेदक के अंश में कमी आई है।

viii. आवेदक का उत्पादन तथा क्षमता उपयोग आवेदक की स्थापित क्षमता से काफी कम है।

ix. चूंकि तिमाही आधार पर आयात कीमत में गिरावट आई है, अत: आयात मात्रा में वृद्धि हुई है।

x. तिमाही आधार पर आयात मात्रा में वृद्धि होने के साथ, ही घरेलू उद्योग के बाजार अंश में गिरावट आई है।

xi. आयात कीमत में अत्यधिक गिरावट आने के साथ ही, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि की अंतिम दो तिमाहियों में हानि, नकदी हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

119. अतएव प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग को क्षति डंपिंग के कारण हुई है।

झ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

120. प्राधिकारी ने संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से प्राप्त कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटी के साथ भी यही व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय नहीं लगाया जाए। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल संपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया था, ताकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत प्राप्त की जा सके तथा उसका पालन किया जा सके।

121. सहकारी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। संबद्ध देशों के सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।

122. रूस के मामले में, आयातित विचाराधीन उत्पाद 98% शुद्धता का है, अत: निष्पक्ष तुलना के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी रूस की आयात कीमत में 98% से 99.9% शुद्धता वाले एसिटोनाइट्राइल में हुई मात्रात्मक हानि और कनवर्सन लागत का समायोजन करने का प्रस्ताव करते हैं तथा तदनुसार पहुंच कीमत की गणना करते हैं।

123. उपर्युक्तानुसार निर्धारित पहुँच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	**उत्पादक**	**एनआईपी**	**पहुंच**	**क्षति मार्जिन**		
		यूएसडी/ मी टन	**यूएसडी/ मी टन**	**यूएसडी/ मी टन**	**%**	**(रेंज)**
क	**चीन**					
1	शेडोंग कुंडा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20%
2	नान्चॉन्ग लियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20%
3	वेफ़ांग झोंगहुई केमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20%
4	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30%
ख	**रूस**					
1	कोई उत्पादक	***	***	***	***	10-20%
ग	**ताइवान**					
1	कोई उत्पादक	***	***	***	***	10-20%

ञ. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

ञ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

124. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए प्रभाव की मात्रात्मकता गलत है क्योंकि उसने जान बूझकर अधिक कीमत के डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर विचार किया है।

ञ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

125. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. पाटनरोधी के प्रयोजन को माननीय उच्चतम न्यायालय ने पिछले मामलों में अच्छी तरह से मान्यता दी है।

ii. आवेदक के अलावा भारत में संबद्ध वस्तुओं के तीन अन्य उत्पादक हैं। इस प्रकार, कोई एकाधिकार नहीं होगा।

iii. भारत में असंबद्ध देशों से भी आयात होते हैं।

iv. पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से यह प्रतिस्पर्धा और भी अधिक अधिक तेज हो जाएगी।

v. डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है और 0.10% से 0.73% की रेंज में है।

vi. संबद्ध वस्तुएँ किसी भी उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक मूल कच्ची सामग्री नहीं है और इसे केवल अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण में सोल्वेंट के रूप में शामिल किया जाता है।

vii. एसिटोनाइट्राइल को अंततः प्रतिक्रिया प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रतिक्रिया मिश्रण से रिकवर किया जाता है।

viii. आवेदक ने यह दिखाने के लिए साक्ष्य दिए हैं कि लागू सोल्वेंट का 95% उत्पादक द्वारा रिकवर किया जाता है।

ix. यदि निर्धारित उपभोग मापदंडों पर विचार किया जाता है, तो भी पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य रहेगा ।

x. आवेदक ने *** करोड़ रुपये के निवेश के साथ *** मी टन का एक नया संयंत्र स्थापित करके अपनी क्षमता का विस्तार किया है और जिंदल स्पेशियलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने *** करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

xi. आवेदक और समर्थकों की स्थापित क्षमता भारत में मांग से अधिक है।

xii. विगत में संबद्ध आयातों की कीमतें जांच की अवधि की आयात संबंधी कीमतों में पाटनरोधी शुल्क को शामिल किए जाने के बाद प्राप्त कीमत की तुलना में अधिक थी।

xiii. भारत में मांग और आपूर्ति के बीच किसी अंतर के बिना होने वाले आयातों से देश के व्यापार घाटे में वृद्धि हो रही है।

xiv. शुल्क लगाया जाना समग्र जन हित में होगा।

ञ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

126. प्राधिकरण यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को ठीक करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और समान प्रतिस्पर्धा की स्थिति तैयार हो सके। पाटनरोधी उपायों को लागू करना संबद्ध देशों से आयातों को कम करने के लिए नहीं है। बल्कि, यह एक समान स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड सकते हैं। तथापि, यह ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के जारी रहने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति मौजूद रहेगी। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने से पाटन की प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभों को रोकने का कार्य किया जाता है। इससे सबद्ध वस्तुओं के व्यापक चयन तक उपभोक्ताओं की पहुंच सुरक्षित रहती है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क कोई रुकावट नहीं हैं, बल्कि निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के लिए सुविधा प्रदान करते हैं।

127. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की थी। घरेलू उद्योग, उत्पादकों/ निर्यातकों और आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों को वर्तमान जांच के संबंध में उनके संचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित संगत सूचना प्रदान करने की अनुमति देने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी।

128. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के किसी भी प्रयोक्ता ने प्राधिकारी के समक्ष जांच में भाग लेने अथवा आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए आगे कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा, किसी भी पक्षकार ने लागू शुल्कों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

129. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों ने संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में अत्यधिक निवेश किया है। भारतीय उत्पादकों द्वारा स्थापित नई अतिरिक्त क्षमता से पहले, देश में मांग-आपूर्ति का अंतर था। तथापि, भारतीय उत्पादकों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और आयातों पर निर्भरता को कम करने के लिए निवेश किया है।

130. घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया है कि अंतिम उत्पाद पर शुल्कों का कम प्रभाव होने के कारण उपभोक्ताओं पर शुल्कों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि अंतिम उपभोक्ताओं पर उपायों का प्रभाव इस प्रकार है: -

क्र. सं.	**उत्पाद**	**एसिटोनाइट्राइल अंश (एसआईओन)**	**एसिटोनाइट्राइल लागत**	**उत्पाद कीमत (रुपए/ किग्रा)**	**यदि कीमत वृद्धि 10% तक है तो उसका प्रभाव**
1	एम्पीसिलीन सोडियम स्टेराइल	1.41	***	***	0.10%
2	मोंटेलुकास्ट सोडियम	9.47	***	***	0.36%
3	सेफिक्साइम	3.07	***	***	0.47%
4	1,2-डाइमिथाइल 1, 4, 5, 6 टेट्रा हाइड्रो पाइरीमिडीन	0.45	***	***	0.73%
5	साइपरमेथ्रिन	0.274	***	***	0.61%

	टेक्नीकल 92% न्यूनतम				

131. उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि शुल्कों का प्रभाव बहुत ही कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि चूंकि संबद्ध वस्तुओं का उपयोग केवल सोलवेंट के रूप में किया जाता है, अत: यह प्रयोक्ता उद्योग के लिए कोई बड़ी लागत नहीं है। जबकि अन्य पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा गणना किया गया प्रभाव गलत है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य और गणना प्रदान नहीं की गई है।

132. इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि सोल्वेंट के रूप में, संबद्ध वस्तुओं को प्रतिक्रिया प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रतिक्रिया मिश्रण से रिकवर किया जाता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य से यह पता चलता है कि अरबिंदो फार्मा लिमिटेड लागू सोल्वेंट का 95% रिकवर करने में सक्षम था। दासामी लैब प्राइवेट लिमिटेड, एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य प्रयोक्ताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं में करीब 90-95% एसिटोनाइट्राइल रिकवर करने की सूचना दी है।

133. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह भी बताया गया है कि पाटनरोधी शुल्क से आयातों पर प्रतिबंध नहीं होता है, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। अत: शुल्क लगाने से उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहरहाल, भारत में संबद्ध वस्तुओं के तीन अन्य भारतीय उत्पादक हैं। भारत में आपूर्ति मौजूदा मांग से अधिक है।

ट. <u>प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियाँ।</u>

ट.1. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

134. अन्य इच्छुक पक्षों ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

क. विनिर्माण प्रक्रियाओं में अंतर, वाणिज्यिक प्रतिस्थापना की कमी, उपभोक्ता आधार भेद, उत्पाद गुणों और रूपांतरण प्रक्रिया में अंतर के कारण 98% या उससे कम शुद्धता वाले एसीटोनिट्राइल को इस जांच में पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए।

ख. घरेलू उद्योग ने कम शुद्धता वाले एसीटोनाइट्राइल को 99.9% शुद्धता में बदलने के लिए गलत रूपांतरण पद्धति अपनाई है। प्रकटीकरण वक्तव्य में इस बात पर स्पष्टता का अभाव है कि प्राधिकरण ने कम शुद्धता वाले एसीटोनाइट्राइल के लिए रूपांतरण पद्धति को लागू किया है या नहीं।

ग. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह केसीआईएल द्वारा अपने उपयोगकर्ता प्रश्नावली प्रतिक्रिया में दी गई वास्तविक मात्रा हानि और रूपांतरण लागत पर विचार करें। 99.9% शुद्धता वाले एसीटोनिट्राइल के उत्पादन के लिए शुद्ध अचल संपत्तियों पर रिटर्न को 98% शुद्धता वाले एसीटोनिट्राइल के लिए एनआईपी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

घ. रूस के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के लिए किए गए समायोजन के बावजूद, 98% शुद्धता वाले एसिटोनाइट्राइल के लिए एनआईपी की गणना 99.9% शुद्धता वाले उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग की शुद्ध अचल परिसंपत्तियों का उपयोग करके की गई है, जो 98% शुद्धता वाले एसिटोनाइट्राइल की लागत संरचना को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता है।

ङ. लाभप्रदता में गिरावट दाहेज संयंत्र की स्थापना और अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण है, आयात के कारण नहीं।

च. घरेलू उद्योग ने कथित प्रभाव को कम करने के लिए कम एसीटोनिट्राइल उपयोग वाले महंगे दवा उत्पादों का चयन किया। हालांकि, कैप्टोप्रिल यूएसपी और लोराटाडाइन जैसे उत्पादों के लिए केसीआईएल द्वारा प्रदान किए गए डेटा, जिनमें एसीटोनिट्राइल की महत्वपूर्ण मात्रा का उपयोग किया जाता है, से पता चलता है कि वास्तविक प्रभाव काफी बड़ा होगा।

छ. एक समान 22% ROCE अपनाने से गैर-हानिकारक मूल्य में वृद्धि होती है और क्षति मूल्यांकन विकृत होता है, जैसा कि CESTAT द्वारा आलोचना की गई है। सामान्य प्रतिस्पर्धा के तहत मुनाफे पर आधारित यूरोपीय संघ का दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

ज. कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव, उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताएं और बढ़ती प्रतिस्पर्धा जैसे बाह्य कारकों ने लाभप्रदता को सीधे प्रभावित किया हो सकता है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

135. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के बाद निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं।

क. रूस से आयातित 98% शुद्धता वाले उत्पाद को भारत में संसाधित किया गया है और उसके बाद 99.9% शुद्धता वाली सामग्री के रूप में बेचा गया है। भारत में ग्राहक भारतीय उद्योग और संबंधित देशों के उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि किसी भी रूप में एसीटोनिट्राइल के आयात को जांच के दायरे में माना जाए।

ख. आवेदक ने कच्चे तेल की अवस्था (लगभग 40% शुद्धता) से 99.9% शुद्धता अवस्था तक की आसवन लागत प्रदान की है, जिसे प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया है। कैरव द्वारा की गई उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उच्च रूपांतरण लागत नहीं हो सकती है।

ग. केवल अपरिष्कृत डेटा को शुद्ध रूप में परिवर्तित करने से इतनी बड़ी मात्रा में हानि नहीं हो सकती। प्राधिकरण ने मानदंड समिति के कार्यवृत्त पर अपना भरोसा जताया। हालाँकि, कार्यवृत्त में ही कहा गया है कि मानदंड कम हो सकते हैं।

घ. यदि मात्रा हानि के दावे को स्वीकार किया जाए तो घरेलू उद्योग का कहना है कि ऐसी मात्रा हानि के परिणामस्वरूप ऐसी अशुद्धियों की बिक्री से आय भी उत्पन्न होती है और उसे भी रूपांतरण लागत की गणना में समायोजित किया जाना चाहिए।

ङ. एनआईपी के संदर्भ में प्राधिकरण एसआईओएन के तहत दिए गए मानदंडों को स्वीकार नहीं करता है। प्राधिकरण को वास्तविक मात्रा हानि और रूपांतरण लागत को अपनाना चाहिए।

च. प्रकटीकरण विवरण में यह उल्लेख नहीं है कि कैरव के डेटा को सत्यापित किया गया है। प्राधिकरण असत्यापित डेटा पर भरोसा नहीं कर सकता।

छ. घरेलू उद्योग को बताई गई क्षति रहित कीमत की गणना के अवलोकन से यह देखा गया है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति रहित कीमत में काफी कमी की है।

ज. आवेदक द्वारा दावा किया गया कि कच्चे माल की लागत और रूपांतरण लागत में काफी कमी की गई है, लेकिन घरेलू उद्योग को इसका कोई कारण नहीं बताया गया है।

झ. प्राधिकरण द्वारा विचारित पूंजी पर प्रतिफल सुसंगत अभ्यास के अनुसार नहीं है। गैर-क्षतिग्रस्त मूल्य की गणना के लिए विचारित कुल बिक्री लागत को तिमाही आधार पर लिया गया है और फिर प्रतिफल की गणना तिमाही आधार पर की गई है। प्राधिकरण की यह सुसंगत प्रथा रही है कि वह जांच की पूरी अवधि के लिए प्रतिफल की गणना करे।

ञ. प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह पांच वर्ष की अवधि के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करें। इससे कम अवधि में घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयातों से होने वाली भारी क्षति से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

ट.3 प्राधिकरण द्वारा जांच।

136. प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियाँ उन तर्कों और विवादों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में आवश्यकतानुसार संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटीकरण पश्चात जांच में ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं को दोहराने से परहेज किया है। हालांकि, प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए किसी भी नए मुद्दे, साथ ही वे मुद्दे जिन्हें पहले संबोधित किया गया था लेकिन जिन्हें प्राधिकारी ने आगे की जांच की आवश्यकता समझी, की जांच की गई है और उनका समाधान किया गया है।

137. इस टिप्पणी पर कि लाभप्रदता में गिरावट दहेज संयंत्र की स्थापना और अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण हुई, प्राधिकारी ने नोट किया कि उन्होंने प्रकटीकरण विवरण में जांच की है कि दहेज संयंत्र की लाभप्रदता अन्य संयंत्र की

तुलना में अधिक है। इसके अलावा, परस्पर प्रतिस्पर्धा से संबंधित दावे का किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने नोट किया कि सभी संबद्ध देशों के संबंध में डंपिंग मार्जिन सकारात्मक पाया गया है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।

138. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 98% शुद्धता वाले एसीटोनिट्राइल को शामिल करने के संदर्भ में , प्राधिकरण नोट करता है कि उपलब्ध रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से 98% शुद्धता वाले एसीटोनिट्राइल को दायरे में शामिल करने को उचित ठहराते हैं, जिसे पहले ही प्रकटीकरण विवरण में समझाया गया था। जबकि केसीआईएल ने कम शुद्धता के उच्च शुद्धता वाले एसीटोनिट्राइल में रूपांतरण के दौरान 19% मात्रा की हानि का दावा किया है, डेटा कम वास्तविक मात्रा हानि का संकेत देता है। घरेलू उद्योग ने [***]% की मात्रा हानि की सूचना दी। हालांकि, प्राधिकरण भारत सरकार की मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लेख करता है, जिन्हें मात्रा हानि का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त माना गया है। रूपांतरण लागतों के संबंध में, केसीआईएल द्वारा दावा की गई लागत को ध्यान में रखा गया था। यह नोट किया गया कि केसीआईएल की गणना में अशुद्धियों की बिक्री से आय को शामिल नहीं किया गया परिणामस्वरूप, रूस के लिए सामान्य मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए केसीआईएल द्वारा रिपोर्ट की गई अशुद्धियों से आय को शामिल करने के लिए रूपांतरण लागत को समायोजित किया गया था। केसीआईएल ने यह भी तर्क दिया कि 99.9% शुद्धता वाले एसीटोनिट्राइल के उत्पादन के लिए शुद्ध अचल संपत्तियों पर रिटर्न को 98% शुद्धता वाले एसीटोनिट्राइल के लिए गैर-हानिकारक मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, उपयोगकर्ता द्वारा कोई सहायक जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

139. केसीआईएल ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग ने जानबूझकर उच्च लागत वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों और दवाओं का चयन किया है, जो कम मात्रा में एसीटोनिट्राइल का उपभोग करते हैं, ताकि न्यूनतम प्रभाव दिखाया जा सके। केसीआईएल ने कैप्टोप्रिल यूएसपी (पाउडर) और लोराटाडाइन के लिए SION (मानक इनपुट आउटपुट मानदंड) प्रस्तुत किया। जबकि केसीआईएल ने इन उत्पादों के लिए SION विवरण प्रदान किए, इसने एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव के बारे में कोई डेटा

प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह संकेत देते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए कि फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एसीटोनिट्राइल को प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतिक्रिया मिश्रण से निकाला जाता है और इसका पुन: उपयोग किया जा सकता है।

140. अन्य हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति कच्चे माल की अस्थिर लागतों, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षों ने केवल बयान दिए हैं और अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जांच की अवधि में घरेलू बाजार में मांग में वृद्धि दिखाई देती है; और इसलिए, यह तर्क कि क्षति "उपभोक्ता वरीयता में बदलाव" के कारण हुई है, पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी चीन एक्स-रे उपकरण में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट का भी संदर्भ देते हैं, जिसमें पैनल ने माना है कि जहां कोई हितबद्ध पक्ष क्षति का कारण बनने वाले पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक की पहचान करता है, लेकिन यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रदान नहीं करता है कि यह कारक घरेलू उद्योग को किस प्रकार क्षति पहुंचा रहा है, जांच प्राधिकारी को उस कारक के संबंध में निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है।

141. इच्छुक पक्षों द्वारा दायर की गई टिप्पणी पर कि अशुद्ध रूप में एसीटोनाइट्राइल के आयात के लिए अंतिम उपयोगकर्ता आधारित छूट प्रदान की जानी चाहिए, प्राधिकरण ने नोट किया कि अशुद्ध रूप में एसीटोनाइट्राइल का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं है। उत्पाद को घरेलू उद्योग की आपूर्ति और संबद्ध देशों से आयातित एसीटोनाइट्राइल के शुद्ध रूप के साथ प्रतिस्पर्धा में आयातित, शुद्ध और बेचा जाता है। घरेलू उद्योग ने सबूत दिए हैं कि केसीआईएल द्वारा आपूर्ति की गई एसीटोनाइट्राइल उसके उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इसके मद्देनजर, अशुद्ध रूप में एसीटोनाइट्राइल के आयात के लिए कोई अंतिम उपयोगकर्ता आधारित छूट देना उचित नहीं पाया गया।

ठ. <u>निष्कर्ष</u>

142. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त निष्कर्षों में दर्ज है, तथा घरेलू उद्योग के साथ पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद एसीटोनिट्राइल है। इसके दायरे में किसी भी शुद्धता में एसीटोनिट्राइल का आयात शामिल है।

ख. भारत में आयातित 98% या उससे कम शुद्धता वाला एसिटोनाइट्राइल, घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले 99% शुद्धता वाले एसिटोनाइट्राइल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, और इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा माना जाना आवश्यक है।

ग. आवेदक द्वारा आपूर्तित उत्पाद विषयगत देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. आवेदक नियम 2(बी) के अर्थ में घरेलू उद्योग है और नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. इस आवेदन को बालाजी एमाइंस लिमिटेड और जिंदल स्पेशियलिटी केमिकल द्वारा भी समर्थन दिया गया है।

च. चीन के तीन उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया लेकिन किसी ने भी बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया। इसलिए, चीनी उत्पादकों की लागत और कीमत को स्वीकार नहीं किया गया है।

छ. रूस और ताइवान के उत्पादकों ने वर्तमान जांच में पंजीकरण कराया लेकिन कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की। इसलिए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है।

ज. विषयगत वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के लिए डंपिंग मार्जिन निर्धारित किया गया है और मार्जिन सकारात्मक है।

झ. जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयात में पिछले वर्ष की तुलना में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों दृष्टियों से काफी वृद्धि हुई है।

ञ. आयात मूल्य आवेदक के विक्रय मूल्य से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक मूल्य कटौती हुई है।

ट. जांच अवधि में बिक्री लागत में कमी आई है, लेकिन बिक्री मूल्य में गिरावट अधिक है। घरेलू उद्योग की कीमतें कम हुई हैं।

ठ. घरेलू उद्योग ने 150 करोड़ रुपये के निवेश से 16,500 मीट्रिक टन का नया संयंत्र स्थापित किया है। आवेदक स्थापित क्षमता में वृद्धि के अनुरूप अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम नहीं है। जांच अवधि में आवेदक की बाजार हिस्सेदारी कम हो गई है, जबकि संबद्ध देशों की हिस्सेदारी बढ़ गई है।

ड. आवेदक को वित्तीय घाटा हुआ है। आवेदक को नकद लाभ में कमी आई है, तथा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी उल्लेखनीय कमी आई है। तिमाही आधार पर आवेदक की लाभप्रदता में लगातार गिरावट आई है। आवेदक पहली दो तिमाहियों में लाभ में था (जो कम थी)। जांच अवधि की अंतिम दो तिमाहियों में वे गंभीर घाटे में चले गए।

ढ. आवेदक की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अधिकांश मात्रा मापदंडों में सुधार हुआ है, लेकिन वे अपेक्षित स्तर से नीचे हैं और मूल्य मापदंडों में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

ण. ब्याज से पहले लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर रिटर्न जांच अवधि में मामूली रूप से सकारात्मक है, लेकिन तिमाही आधार पर देखा जाए तो वे पिछली दो तिमाहियों में नकारात्मक हो गए हैं।

त. पूंजी जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

थ. जांच में ऐसा कोई अन्य कारक सामने नहीं आया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

द. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि विषयगत वस्तुएँ प्रतिक्रिया प्रक्रिया के अंत के बाद प्रतिक्रिया मिश्रण से निकल जाती हैं। इसलिए, उत्पाद की खपत कम है।

ध. यह देखा गया है कि शुल्कों का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा

ड. <u>सिफारिशें</u>

143. प्राधिकारी ने नोट किया कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को सूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षों को डंपिंग, क्षति, कारण संबंध और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक

जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। डंपिंग, क्षति और कारण संबंध की जांच शुरू करने और एंटी-डंपिंग नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार करने के बाद, प्राधिकारी का मानना है कि डंपिंग और क्षति की भरपाई के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।

144. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण कम डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जो नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर है।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र. सं.	**शीर्ष/ उप शीर्ष**	**वस्तुओं का विवरण**	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**धनराशि**	**मापने की इकाई**	**मुद्रा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	292690	एसिटोनाइट्राइल*	चीन जन. गण	चीन जन. गण. सहित कोई देश	नानटोंग लियांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	202	मी. टन	यूएस डॉलर
2	वही	वही	चीन जन. गण	चीन जन. गण. सहित कोई देश	शेडोंग कुंडा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	292	मी. टन	यूएस डॉलर
3	वही	वही	चीन जन. गण	चीन जन. गण. सहित कोई देश	वेफ़ांग झोंगहुई केमिकल कंपनी लिमिटेड	260	मी. टन	यूएस डॉलर
4	वही	वही	चीन जन. गण	चीन जन. गण. सहित	क्र.सं. 1,2, और 3 के अलावा कोई	481	मी. टन	यूएस डॉलर

				कोई देश	उत्पादक			
5	वही	वही	चीन जन. गण, ताइवान और रूस के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण	कोई भी उत्पादक	481	मी. टन	यूएस डॉलर
6	वही	वही	रूस	रूस सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	292	मी. टन	यूएस डॉलर
7	वही	वही	चीन जन. गण., ताइवान और रूस के अलावा कोई भी देश	रूस	कोई भी उत्पादक	292	मी. टन	यूएस डॉलर
8	वही	वही	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	233	मी. टन	यूएस डॉलर
9	वही	वही	चीन जन. गण., ताइवान और रूस के अलावा कोई भी देश	ताइवान	कोई भी उत्पादक	233	मी. टन	यूएस डॉलर

#सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है तथा विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

** एसिटोनाइट्राइल को MeCN (मिथाइल साइनाइड), सायनो मीथेन, इथेन नाइट्राइल, एथिल नाइट्राइल और मीथेन कार्बोनिट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में किसी भी नाम से और किसी भी स्तर की शुद्धता वाले एसीटोनिट्राइल शामिल हैं।*

ढ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

145. इस अंतिम निष्कर्ष में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी